

(Dis.)

MR. SPEAKER: You have two minutes more. That is what I can give.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Let him continue next time.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Let him complete today. Why should he continue next time.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Let us be quite clear how long we are going to sit. There is this motion.

MR. SPEAKER: There is one minute. You can conclude.

SHRI G. M. BANATWALLA: When such was the condition in Assam, we were told about it in the House. The agreement was laid on the Table of the House and solemn assurances were given. Based on those assurances, many of our brothers and sisters returned. They are sought to be uprooted again. An Urdu poet says in a couplet:

क्या इसलिए तकदीर ने चून्चाये थे तिनके
बन जाये नशेमन तो कोई आग लगा दे ।
[क्या اس لئے تقدیر نے چنوائے تھے تانکے
بن جائے नशेमन तो کوئی आग ला दे-]

Now, the solemn assurances given to the people have to be kept, carried out and later on also, there was Indira-Mujib Agreement of 1971....

MR. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI G. M. BANATWALLA: Shall I continue next time? I have still to come to the operative part of the amendment that I have moved.

MR. SPEAKER: The time is over. I have to take up the discussion under Rule 193.

SHRI G. M. BANATWALLA: I will take just a few minutes next time and conclude.

MR. SPEAKER: Yes.

18.11 hrs.

DISCUSSION RE: ALLEGED MOLESTATION OF A WOMAN AT BAGHPAT ON 18TH JUNE, 1980

MR. SPEAKER: Before I call upon Prof. Madhu Dandavate to raise the discussion under Rule 193 on the statement made by the Minister of Home Affairs regarding the alleged molestation of a woman on 18th June, 1980 at Baghpat I would like to point out that the UP Government have since ordered an enquiry into the Baghpat incident. It is a well-established rule of parliamentary practice and procedure that discussion on a matter which is *sub-judice* is out of order.

The question of holding a discussion was discussed at a meeting I held with the Leaders of the Parties and Groups in the House and the Minister of Home Affairs on 2 July 1980 and it was decided that the discussion on the Home Minister's statement regarding the Baghpat incident may be allowed to be held on 4 July, 1980. Accordingly the discussion is now to take place, but I would request the Members to exercise utmost self-restraint while participating in the debates so as not to prejudice or adversely affect in any way the proceedings of enquiry which has already been ordered.

श्री मनीषम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, इस पर मेरा आपसे एक निवेदन है । अपने कक्ष है यह प्रेज्युडिस... (स्वकथन)

अध्यक्ष महोदय : डिस्कशन हो रहा है, उसको मैं नहीं रोक रहा हूँ ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Speaker, Sir, while initiating the discussion on this sensitive subject, I will definitely keep in

[Prof. Madhu Dandavate]

mind the valuable observations that you have already made in the beginning.

After the Home Minister made the statement on what he described as the alleged molestation of a woman on 18th of June 1980 at Baghpat, I propose to raise the discussion on the subject, which has not only legal but moral and human overtones. I am sure this is a subject on which all of us will agree that the Members on both the sides of the House will be committed to certain basic values of Indian culture and it is only in that context that the problem will be discussed in this House.

Only a few years back, we observed, not only in this country but in different parts of the world, the 'International Year of Women'. The values of dignity of women and the values of honour of women were the noble values on which men and women in different parts of the world laid great emphasis and stress. At various rallies and meetings held during the International Year for Women, different organisations, various political parties, solemnly pledged themselves to see that these noble values in our life are respected and implemented.

But in reality what do you find? Our Home Minister visited Baghpat along with some MPs and others. It is not only he who visited Baghpat. Prior to that, a number of teams went to Baghpat to make an on-the-spot study. My hon. friend, Shri Ram Vilas Paswan and a few MPs visited the place. Then, a team of 7 women, including 2 women MPs of this House and also the former alderman of Delhi Corporation visited the spot. Then, the Home Minister along with 10 women MPs also visited Baghpat. Some journalists also tried to find out what exactly had happened and a very important aspect has not to be forgotten and that is that 6 Supreme Court advocates visited the place.. (In-

terruptions) Some members may like to laugh at Supreme Court advocates...

AN HON. MEMBER: They are of all types.

PROF. MADHU DANDAVATE: Some people might like to cast aspersions on Supreme Court and Supreme Court advocates. But I am wedded to a certain school of thought.... (Interruptions)

AN HON. MEMBER: We are not casting aspersions.

PROF. MADHU DANDAVATE: According to the conventions of the House, I am addressing the Home Minister through you, Sir. The Supreme Court advocates also went there and they tried to bring forward certain important conclusions after making an on-the-spot study.

Sir, the women's memorandum has already been submitted to you. In fact, I had requested you that it may be laid on the Table of the House. But then you were of the opinion that since the Home Minister had already been requested to visit Baghpat and make an on-the-spot study, he was likely to make a statement and you were kind enough to inform us that you would forward that statement and the memorandum to the Home Minister, he will study that in depth, to the extent he will be able to study in depth. he will study the situation in Baghpat and, after that, he will be able to make a statement here. He made a statement in the House and that statement is very important. In that statement, he has accepted that there is a *prima facie* case for a judicial enquiry and, therefore, he categorically announced that there will be a judicial enquiry.

Of course, the terms of reference were not mentioned. By what time the judicial enquiry will be completed has also not been mentioned in the House. How that comprehensive judicial enquiry will be has not been mentioned. But these are matters of detail and, I am sure, if this debate

proceeds in a fruitful manner, at the close of the discussion, the Home Minister will be able to satisfy the House that these are the specific terms of reference for the judicial enquiry; this is the time-bound limit within which the judicial enquiry will be completed and this will be the comprehensive nature of the enquiry which will also include the charge that Shri mati Maya Tyagi had been raped, the charge that 3 persons had been shot down and a number of allied allegations. Not only she was raped but she was stripped naked and paraded in the street... (Interruptions) Let us have unanimity on this at least.

I would like to quote a small passage from the written statement that was made by the Home Minister. The Home Minister in his statement made here on 2nd July, 1980, in 2nd paragraph said:

"I have no hesitation in saying that incidents of this nature are a disgrace and a slur on the traditions and culture of this country where women have always been accorded and held in high esteem. The incident at Baghpat, therefore, deserves to be condemned unreservedly and without any hesitation at all."

That is exactly what he has said and, as a result of this, since he felt that there was a *prima facie* case, he announced at the end of the statement that a judicial enquiry will be gone into. The various teams that had gone there have already prepared their memoranda. The advocates had prepared their memorandum. Some Members of Parliament who visited along with others have made certain mentions in the House. The Women's Delegation having MPs among them also sent a memorandum. The advocates have categorically made a statement, and the women's delegation also has categorically made a statement, that Mrs. Maya Tyagi was stripped naked and was paraded through the streets of Baghpat bazaar and when one of the shopkeepers felt that here was a sister who was being paraded

in the streets naked, he took out a lungi from his shop and threw it at that lady, so that not only the honour of that single woman but the honour of womanhood in this country would be protected. He threw a lungi. But what did the police do? Most of the persons who visited the spot have said that, when the lungi was thrown at that naked lady, that person, that shopkeeper, who threw the lungi, was beaten up. This is exactly what had happened. Of course, this will be investigated. In the judicial inquiry, the detailed facts will come out. When the Women's Delegation went, they made three concrete demands. These demands have also been made by the advocates. These demands have also been made by our colleagues, the MPs, who visited Baghpat. They demanded a judicial inquiry with definite terms of reference; they demanded suspension of the police officers concerned, they demanded prosecution of the SHO; they demanded that the officers guilty of the atrocities should be heavily dealt with. That is what they demanded. We are told that the transfer of officers has taken place...

AN HON. MEMBER: That news has appeared today.

PROF. MADHU DANDAVATE: That news has appeared in the press today. That was not in the statement.

Here I would like to give an analogy. The other day in this very House when, with your permission, during the Call Attention Motion the question was raised about some one who was drowned into the water reservoir near Delhi Station, the Railway Minister was kind enough to get up in the House and announce that they had already instituted an inquiry and in order that the inquiry should be impartial, Panditji, as Railway Minister, announced in this House, the persons concerned had been summarily suspended and they would remain suspended till the final findings of the inquiry were out. But here the news has appeared in the press that the concerned police officers have been transferred from Baghpat.

[Prof. Madhu Dandavate]

In order that justice should be done, in order that the judicial inquiry should be conducted in a proper way, the conventions and traditions demand that the officers concerned must be suspended. But they have not been suspended here; they have been just transferred. This is the point which is the most important and which was raised in the various memoranda that were submitted, but unfortunately that has not been taken note of.

There is another aspect of the statement which is very unfortunate; it has nothing to do with the judicial inquiry...

MR. SPEAKER: Please try to sum up.

PROF. MADHU DANDAVATE: How can such an atrocious crime be summed up so soon.

MR. SPEAKER: The other Members also will have to take part.

PROF. MADHU DANDAVATE: I will not take much time. I hope that the Members would request you, Sir, to give me some more time because I am not raising the issue in a partisan manner. All of us are interested in the culture of the country, in the honour of the country, in the dignity of woman in the country.

Unfortunately in the statement that was made by the hon. Minister, there is another important aspect that he has touched. In paragraph (3) the hon. Minister for Home Affairs has said:—

"I would, however, appeal to all that the incident should not be used by any person or party towards any political gain as we are afraid that it has acquired some political overtones and is being taken advantage of by some elements for purposes which are not relevant at all to the main issue of protecting the honour of women."

Sir, the hon. Home Minister cast aspersions on the political parties. I would like to point out to him that the six Supreme Court advocates who visited Baghpat and the Women's Delegation that visited Baghpat have brought out a very important aspect. They have pointed out two things.

"The Home Minister went there to make an on-the-spot inquiry. At Baghpat bazaar a number of shopkeepers and various cross sections of the masses had assembled but he did not go to that spot." I will not say on my own but I would like to quote what the six Supreme Court advocates have said. Referring to the Parliamentary delegation led by the Home Minister, Mr. Zafar Singh, which visited the area, the advocates have said "The local administration organised a stage-managed show for the delegation. He did not go to the Baghpat bazaar. He went to the Co-operative Sugar Factory rest house. There various people were called. There was a partisan atmosphere." That is what is says.

Actually, this is the stage-managed manner in which he tried to conduct the inquiry—of course, in an informal way. He tried to make an on-the-spot study without visiting the spot where actually the trouble had taken place. Large sections of the masses were there. Sir, in Marathi there is a drama in which there is a very interesting comment. That comment is:

“जाय रामेश्वरी बंब लामेश्वरी”

That means:

Fire takes place at Rameswaram, and the Fire Brigade goes to Someswararam.

That exactly is the correct description—that the trouble took place at one place. Some shopkeepers were beaten because they tried to protect the honour of the lady and, on the top of it, unfortunately he did not visit the spot but he tried to visit other spots.

Those advocates also have drawn another inference. They say:—

“All sides presented their viewpoints. But the zeal to defend the Police was obviously inspired, so was the attempt to convert it into a conflict between two political parties.”

That is what the advocates have said ..

SHR. M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Very uncharitable.

PROF. MADHU DANDAVATE: It might be uncharitable. I am only quoting the Supreme Court Advocates who went there and the impression they gathered... (Interruptions).

SHRI GHULAM NABI AZAD (Washim): We want the names of the Supreme Court advocates

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: वे किसी को रफेर कर सकते हैं।

Why do you disturb him?

PROF. MADHU DANDAVATE: By this time it should have been clear that I will not be cowed down in my comments. I am making my comments in a restrained way, but I am not going to be cowed down... (Interruptions) I am addressing the Home Minister through you.

In this case there is another important aspect...

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): We want to know the names of the Advocates. Will you kindly tell us?

MR. SPEAKER: What is there in the names? There is nothing. He can refer to anybody.

PROF. MADHU DANDAVATE: It is only the Speaker who can direct me and I will obey your direction. I accept only one the authority in this House, that is the authority of the

Speaker. If you give me the direction, I will give the names.

MR. SPEAKER: What is there in the names. He can refer to anybody.

PROF. MADHU DANDAVATE: When the matter was brought here, I wish to bring to your notice that unfortunately even before an on-the-spot study was made by the Home Minister, one hon. Member said here and what he said was quoted by another hon. Member. It was said here in this very House that Mrs. Maya Tyagi, the lady who was stripped naked and raped by the Police, was herself a dacoit. That is what was said. Sir, if you go through the debate—these are the official Lok Sabha debates—on page No. 8575, some interruptions are there. But, Mr. Eduardo Faleiro said:—

‘Mr. Chairman, Sir, a very serious allegation is being made by an hon. Member that the lady in question is a dacoit.’ (Interruptions)

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Mr. Speaker, Sir, under Rule 194 if one hour is consumed by him, then what happens to other speakers?

After all, that speech should not be repeated because the rule is very clear here. Under Rule 194 within one hour the whole thing should be completed. If he consumes half an hour, what will happen to the other speakers? (Interruptions) You will kindly read Rule 194, Sir. (Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE: Mr. Speaker Sir, I want to bring to your kind notice the fact that I met you in your chamber and said that under 193 adequate time is not there. You yourself said that you may extend that.

MR. SPEAKER: I am giving you the time. You go ahead.

PROF. MADHU DANDAVATE: This was that Shri Faleiro has said:

'Mr. Chairman, Sir, a very serious allegation is being made hereby an hon. Member that the lady in question is a dacoit.'

On that another hon. Member. Shri Indrajit Gupta said:

'If she is a dacoit, should she be raped?'

SHRI EDUARDO FALEIRO: What is he doing? Why should he quote that the lady is a dacoit? (*Interruption*)

MR. SPEAKER: Mr. Faleiro, it is time consuming. This is not the way. Why should anybody be interrupted?

PROF. MADHU DANDAVATE: I would like to ask one question. I am telling what has been said in the debate.

MR. SPEAKER: Go ahead.

PROF. MADHU DANDAVATE: I would like to ask the Home Minister one simple question. If it is to be established what type of the lady Mrs. Maya Tyagi, is, I would like to ask one question. If some lady had been sentenced to life imprisonment on the charge of murder and had been sent to prison, will the Superintendent of Jails be authorised to rape that woman inside the jail? That is the question I ask.

MR. SPEAKER: That has not been implied. The Home Minister has categorically said it. This should not be implied; he did not imply that.

PROF. MADHU DANDAVATE: I am not referring to him. (*Interruptions*) I am only saying that it is.... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No interruption please. Let him have his own time and you will have your own time. You

should all conduct yourselves as hon. Members of this House. I shall give an opportunity and you can have your own viewpoint.

PROF. MADHU DANDAVATE: I made a reference to what happened in the House. It has already appeared in the newspapers and some people had been making an allegation that the lady happened to be a dacoit. But my position is that if she happens to be a dacoit, even then, no lady in this country could be raped by a police officer. That is the point I would like to make. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He has freedom to say that. The enquiry will reveal that. You conclude now.

PROF. MADHU DANDAVATE: I won't take much time. I am quoting.

MR. SPEAKER: You are not the only speaker.

PROF. MADHU DANDAVATE: You are the Speaker. I am not the Speaker.

MR. SPEAKER: Not in that sense.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, in the end, I would like to tell you that we protest against the atrocities that had taken place at Baghpat and elsewhere...

Today a number of women's organisations irrespective of their political affiliations—I repeat irrespective of their political affiliations—have organised a dharna outside the Parliament—of course, beyond the limits of Section 144. They have organised a dharna to draw the attention of the Parliament. Outside Parliament House and within the permissible limits hundreds of women have gathered and they represent organisations with varied political affiliations and no political affiliations. They are:—

(I) Mahila Dakshata Samiti

(II) National Federation of Indian Women

(III) Janwadi Mahila Samiti

(IV) Action India

(V) Stree Sangarsh

(VI) Manushi

(VII) Peoples Union for Civil Liberties and Democratic Rights (Delhi State)

(VIII) Delhi Council of Child Welfare

While concluding I shall say only one thing. Unfortunately, when this atrocity took place many of us were in the Parliament House. Sir, I consider it to be my misfortune. When this atrocity took place and when the lady was stripped naked, I would have preferred to remain there on the spot at Baghat to defend the honour of the lady and if need be die in the defence of the honour of the lady rather than initiating the discussion in the House. With that I conclude.

श्रीमती कृष्णा साहू (बेगूसराय) : देश के जनेके भागों से पुलिस द्वारा जो महिलाओं के साथ बलात्कार के समाचार जा रहे हैं, इससे सभी सहमत होंगे कि इस तरह के कृत्य करने वाले पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये। बागपत में जो दुर्घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो यह सभी माननीय सदन के लोग चाहेंगे और देश भी हमारा यही चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो अप्रिय घटना घटी है इसको सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है और राजनीतिक चरम से इसको देखा और इसका प्रचार किया जा रहा है।

मैं प्रमाण नहीं देना चाहती हूँ लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। गृह मंत्री जी के साथ हम सभी पार्टियों की इस सदन की महिलायें। जुलाई को बागपत गई थीं। वहाँ हमारा प्रतिनिधि मंडल गैस्ट हाउस में गया। वहाँ जा कर हम ने देखा कि काफी लोग इकट्ठे थे। हमारे माननीय सदस्य मधु दण्डवत जी ने कहा कि गृह मंत्री और हम लोग स्पॉट पर नहीं गए और मैनेज करके लोगों को बुलाया गया, वहाँ लोगों को लाया गया। यह बात सही है कि वहाँ लोग आए थे लेकिन वे गृह मंत्री द्वारा लाए

नहीं गए थे बल्कि विरोध दलों के द्वारा लाये गये थे। मैं बदब से पूछना चाहती हूँ कि श्री राज नारायण जो वहाँ थे, उनको क्या हमारे गृह मंत्री जी ने निमंत्रण दे कर बुलाया था? वह अपने दल बल के साथ वहाँ उपस्थित थे। बागपत से जिन्होंने विधान सभा के लिए अभी हाल में चुनाव लड़े थे वह भी वहाँ मौजूद थे और दल बल के साथ थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाहर जोरों से नारे लगाए गए। लोग ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में चढ़ कर वहाँ लाए गए। हम लोग इस उद्देश्य से वहाँ गए थे कि जो वस्तु स्थिति है उसकी हम जानकारी प्राप्त करें, ताकि जिन लोगों ने ऐसा अन्याय किया है, जिन लोगों ने गलत काम किया है, उनको सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वह दी भी जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर जो वातावरण था वह हमें ऐसा लगा कि जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, जो राजनीतिक लाभ के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए वहाँ गए थे वे नहीं चाहते थे कि सही इनक्वायरी हो और वहाँ पर माहौल को बहुत ही तनावपूर्ण बना दिया गया वातावरण में तनाव, लोग उत्तेजित। और विरोधी दल के लोगों ने, जिन्होंने सच्चाई को गलत ढंग से कहना शुरू किया, उत्तेजित भाषा उनकी थी और बड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा की व उन लोगों ने वहाँ कहना शुरू किया तो ऐसा लगा कि जैसे वह सच्ची बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल स्पीचेज देने लगे।

जब मैंने उनसे कहा कि आप इन्स्टीट्यूट के बारे में बतायें कि घटना क्या घटी? आप घटनास्थल पर थे कि नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाद में पहुँचा था।

मैं और जो हमारी बहिनें गई थीं साथ में, हमारे उस पक्ष की भी सबस्यारें थीं, सब ने इच्छा जाहिर की कि माया त्यागी से हम मिलना चाहते हैं। कहा गया कि माया त्यागी यहाँ नहीं है, गांव में है। हमने कहा कि हम लोग गांव में जाकर उनसे मिलेंगे, वहाँ जाकर उनसे बातें सुनेंगे, तब कहा गया कि उनको दिल्ली ले जाया गया है। मैं भी मिलना चाहती थी और हमारे और भी साथी मिलना चाहते थे। लेकिन अभी दो दिन पहले जब हमने अपनी इच्छा व्यक्त की तो मुझे मालूम हुआ कि वह जनता

[श्रीमती कृष्णा साही]

पाटी के कार्यालय में है। हमने कहा कि उनको वहाँ यदि लाया जाए तो हम सारी महिलाएँ खनसे बात कर सकते हैं। यदि इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा है तो वह जनता पार्टी के दफ्तर में क्यों है? उनको हम लोगों से भी मिलना चाहिए, हम लोग भी उनके दुःखदर्द को सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लोकसभा के श्री जगतसिंह ने भी लम्बा-चौड़ा वहाँ पर भाषण दिया और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप घटनास्थल पर थे, तो उन्होंने साफ इन्कार किया और कहा कि मैं वहाँ पर नहीं था।

एक अपने को जो जसवीर सिंह है, या जगवीर सिंह है, कहते थे कि मैं भाया त्वाणी का वकील हूँ। मैं उनको माया त्वाणी का वकील नहीं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने भी ऐसी तकरार की, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। जब 15 मिनट तक वह बोलते रहे और होहल्ला होता रहा तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप वहाँ उपस्थित थे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस-स्टैंड पर था और वहाँ पर लोगों ने कहा कि एक महिला को मार पीटा गया है जो डकैत जैसी है जिसके साथ ऐसी घटना घटी है और 3 प्रश्नों को जान से मार दिया गया। वह खूद वहाँ पर नहीं थे लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की।

एक विजेन्द्र सिंह और दूसरे जो उनके साथी थे, वह अजय प्रकाश ताम्बर थे, जब मैंने उन लोगों से कहा कि क्या बात थी, आप बताइये और मैंने कहा कि क्या ऐसा संभव है कि जहाँ आप बता रहे हैं कि 3, 4 हजार की भीड़ थी और वहाँ एक महिला को निर्वस्त्र कर लिया जाये, क्या वहाँ पुलिस नहीं थी? उन्होंने कहा कि पुलिस थी, 2, 3 पुलिस वाले थे और 2 अफसर थे। मैंने कहा कि क्या भारतवासियों का खून इतना ठण्डा हो गया है कि 3, 4 हजार लोग वहाँ इकट्ठे हैं और एक महिला को निर्वस्त्र कर वहाँ से ले जाया जाये, और वह मूक-द्रष्टा होकर देख रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने पुलिस को ऐसा कंत्रम करने से रोकता? उनके पास इन बातों का समुचित उत्तर नहीं था।

एक हास्यास्पद बात यह हुई, जो हमारे साथ हमारी बाहनें थीं, संसद सदस्यों,

उनके सामने भी एक दो महिलाएँ आई हुई थीं और उनमें से एक पूर्णिमा रस्तोगी थीं। उन्होंने सब के सामने ध्यान दिया कि हम वकील हैं। मैंने और हमारी सहयोगियों ने पूछा कि आप कब से वकालत करती हैं? उन्होंने कहा कि एक साल से वकालत करती हूँ और वह भी इतना लम्बा चौड़ा भाषण देने लगीं, लेकिन ऐसा लगा कि वह बीच-बीच में कुछ-कुछ भूल जाती थीं और उनको प्राम्पट किया जा रहा था। हमने विचार किया कि यह महिला है, क्यों नहीं हम इनको बलम कमरे में ले जायें। उसी कमरे में हमारी महिला सबस्यार भी थी, हम भी वहाँ थे और साथ में और जो वहाँ से 4, 5 औरतें आई थीं, हम सब बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आप सच्ची बात बताइये, आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि मैं एल.एल.बी. की फाइनल ईअर की स्टूडेंट हूँ मरेठ यूनिवर्सिटी की। हमने कहा कि वहाँ पर क्या वकालत करती हैं? उन्होंने कहा कि एल.एल.बी. की फाइनल ईअर की स्टूडेंट हूँ और मरेठ पति वकालत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि यदि पति वकालत करने हैं तो आप तो वकील नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने कहा कि यदि कोई डाक्टर है और उनकी पत्नी अगर डाक्टर नहीं है तो वह तो नहीं कह सकती है कि मैं सब का इलाज करूंगी, वह तो प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। (व्यवधान)

आप भी हमारे साथ थीं अब वहाँ न बोलिये तो बात दूसरी है। श्रीमती गीता मुखर्जी भी साथ थीं और श्रीमती कनक मुखर्जी भी साथ थीं, अब वहाँ न बोलें तो दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैंने उनसे कहा कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, आप ने इस तरह की गलत बात क्यों की, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कहा गया कहने के लिये। आप ही बताइये, वहाँ पर जो और भी महिलाएँ थीं, मैंने सब के नाम लिखे हैं, मरेठ पास सब के सबूत हैं, जो महिलाएँ आई थीं। उन लोगों ने कहा कि हमने लड़की को निर्वस्त्र नहीं देखा। दोनों पक्षों की बातें सामने आईं। कुछ

लोगों ने कहा कि यह निर्वस्त्र थी, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी।

एक बात यह भी थी कि जो घटनास्थल को द्रष्टा थे, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जो दो बार लोग वहां आये थे और सही बात कहना चाहते थे, उनके बारे में कहा गया कि वे कांग्रेस (आई) के दलाल हैं और उन्हें बात करने से रोक दिया गया।

अभी श्री मधु दंडवते ने हमारे देश की परम्पराओं की बात कही है। यह सही है कि हमारा देश परम्पराओं का देश है। हमारी सांस्कृतिक परम्परा है कि जिस घर में महिलाएँ होती हैं, उनको पूजा होती है। हमारे यहां कहा जाता है कि जहां महिलाओं की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण वे ऐसे जघन्य कृत्य करते हैं। इसमें केवल प्रशासन का दोष नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग महिलाओं को ऐसी नजर से देखते आये हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाएँ होती हैं।

मैंने जब उन महिलाओं को सबभाया, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों पर बहुत दबाव डाला गया है, हम लोग स्वयं नहीं आई हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है, वहां पर लोगों को ट्रैक्टरों और ट्रैलरों पर लाया गया था। माननीय सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बात कही है, जो बिल्ली से वहां गये। सब लोगों को इस बात की जानकारी थी कि गृह मंत्री वहां जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिससे यह बात पता न हो। लेकिन फिर भी माया त्यागी को वहां नहीं रखा गया। मैं उसी से पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं रखा गया।

मैं समझती हूँ कि जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, वे वसिष्ठ महिलाओं के प्रति भाव नहीं करते हैं, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ पर उनकी बलि चढ़ाते हैं। जब नारायणपुर में ऐसी घटना घटी थी, तो माननीय सदस्य, श्री जॉर्ज कर्नन्डोस, ने कहा था कि यह तो हिन्दिरा गांधी का स्टाफ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि यह तो जो

बागपत का कांड हुआ है, क्या यह भी उनका और उनके साथियों का राजनीतिक स्टाफ है। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना बिल्ली में हुई, दिल्ली में अरेबला के नजदीक हुई, वहां पर गीता-कांड हुआ, सहरसा और भीमपुर में हुई, नारायणपुर में हुई, जहां सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार किये गये। बसमत की घटना उसी की एक कड़ी है। (ब्यवधान) हमारी सरकार ने विरोधी दल की सदस्यों को भी नारायणपुर जाने के लिए मनोनीत किया था। जब हम लोग वहां गये, तो उन्हें भी नियंत्रण दिया, लेकिन वे नहीं आईं। जब हम ट्रेन में थे, तो हम इस प्रतिभा में थे कि सही वस्तु-स्थिति का ज्ञान करने के लिए वे आयेगी, लेकिन वे नहीं आईं। क्या उस समय उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया था? क्या उन्हें उस वक्त इन बातों का एहसास नहीं था? आज माया त्यागी को ले कर जो इतना शोर हो रहा है, वह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हो रहा है।

मैं यह नहीं कहती कि यह घटना हुई ही नहीं है। लेकिन सही स्थिति की जानकारी तभी हो सकती थी, जबकि इस घटना पर राजनीतिक आवरण न डाला जाता। जब इस पर राजनीतिक आवरण डाल दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं होगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे लोग नहीं चाहते कि सही ढंग से न्यायिक जांच हो। वे तो राजनीतिक गिन के लिए बवंडर चड़ा करना चाहते हैं। सभी लोग यह मानते हैं कि ऐसे ऐसे घरेलू अपराध हैं। अगर हम इस घटना को इस दृष्टि से देखें कि एक महिला के प्रति अत्याचार हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि हम महिलाओं की प्रतिष्ठा को रक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। इस तरह की प्रचार और जापनों के द्वारा ऐसी घटनाओं का निराकरण नहीं हो सकता है।

मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने न्यायिक जांच के लिए आदेश दिया है। हमारी प्रधान मंत्री ने संघ में कहा है, एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जोरवालेन दिया है और कहा है कि ऐसे पुलिस कमिश्नरों के खिलाफ जो इस तरह का अन्याय करते हैं, जो इस तरह के दुराचारी पुलिस-कर्मियों हैं

[श्रीमती कृष्णा साही]

उन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। तो इस बात में हम लोग किसी से पीछे कहां हैं कि सही स्थिति को न जाना जाये? प्रधान मंत्री स्वयं इस के लिए परेशान हैं और चिन्तित हैं, और चिन्ता उन्होंने व्यक्त की है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं उन को राजनीतिक रंग न दें। इस तरह से वे समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी महिला सदस्याओं से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने वस्तु-स्थिति को देखा है, समझा है, ऐसी स्थिति में जो बात आएगी इस तरह का राजनीतिक रंग देने के बाद, उस से आप वस्तुस्थिति को जान ही नहीं पाएंगी। इस तरह से आप ने अपने पक्ष को और भी कमजोर किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि वस्तुस्थिति को देखिए, इस का निराकरण समाज का दृष्टिकोण बदलने से होगा। विधि आयोग की अनुसंधान इस सम्बन्ध में आई है, मैं अपने विधि मंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करूंगी कि उस को हम लोग शीघ्र से शीघ्र अपनाएं और उस को लागू किया जाये।

श्री राज बिनास पासवान (हाजीपुर):
अध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस विषय पर बहस कर रहे हैं व बहुत ही गंभीर विषय है और दोनों पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक कलर न दिया जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि राजनीतिक कलर इसको कानि दे रहा है? आप पढ़िए 23 तारीख के अखबार को। हम लोग 25 तारीख को बागपत गए थे। आप पढ़िए 23 तारीख के अखबार को जिस दिन संजय गांधी के बारे में दुस्रद समाचार आया था, उस दिन स्पेशल बुलीटिन निकला था कि कांग्रेस आई के एक एम एल ए, त्यागी ने जूडिशियल एन्क्वायरी की मांग की है। उन्होंने कहा था कि यह बहुत शर्मनाक घटना घटी है। इसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने मांग की। पता नहीं त्यागी की क्या दुर्गति होगी पार्टी के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि राजनीतिक कलर कहीं नहीं था। हम लोग तब गए थे जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के

लोगों का रिएक्शन निकलना शुरू हुआ। तब हम लोग यहां से बागपत गए। मैं गृह मंत्री से भी मिला था जिस दिन वह जा रहे थे और उन्होंने स्वयं हम लोगों से कहा कि जिस ढंग से उस लड़की के साथ व्यवहार किया गया, मैंने उस लड़की को देखा है, हमारे नजदीक में वह लड़की आई है तो देखने से, बोलने चालने से, मैं निश्चित दावे से कह सकता हूँ कि वह अच्छी लड़की है, भली लड़की है। यह गृह मंत्री ने कहा हम ने जब रेप के मामले में कहा तो मंत्री जी ने कहा कि रेप उसके साथ हुआ हो या नहीं हुआ लेकिन जैसा उस के साथ घटना घटी है, जिस तरह से उसे नंगी कर के उस के गुप्तांग में लाठी को डकेला गया है, यह भारत की मर्यादा के लिए एक शर्मनाक बात है। यह रेप से भी ज्यादा खतरनाक चीज है।

आप कहते हैं कि हम लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं... (व्यवधान)... आप पुलिस की तरफ से बोल रहे हैं इस का मतलब है कि कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में आप के दिमाग में प्रेजुडिस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी बात यहां चले तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने नहीं कहा किसी ने नहीं कहा कि आप का इस में हाथ है। लेकिन जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं, दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, प्रेस के लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आप एक तरफा पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, उस से लगता है कि आप के दिमाग में कहीं प्रेजुडिस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको राजनीतिक भावना से नहीं लेना चाहिए।

हम लोग जब बागपत में गए, हम लोगों ने सब से मिलने की कोशिश की और जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने प्रकाश में आई, मैं कहता हूँ कि भरे दिन दहाड़े कोई डकैती करता है? और यदि कोई डकैती करने के लिए आएगा तो वह अपनी गाड़ी के चक्के को पंचर ठीक करने के लिए देगा? वहां वह आया है और आने के बाद जब वह बाजार चला गया है, त्यागी की पत्नी माया त्यागी गाड़ी में बैठी हुई थी, वहां पुलिस कांस्टेबल या दीवान आता है सारे वेष में और उस लड़की की पीठ पर ठोकर मार कर कहता है कि यह टैक्सी चलेगी? जब उस ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने प्रतिरोध

किया। लेकिन आज कल की पुलिस की टंडंसी जैसी है, वह कहीं प्रतिरोध सुन सकती है? उस के बाद हो हल्ला होता है, उस के परिवार के लोग आते हैं। आने के बाद जब वह मार खा जाता है तब उस के बाद वह जाता है हल्ला करते हुए थाने में कि डकते आये हैं और बैंक लूट रहे हैं। हमने बैंक वालों से भी पूछा कि कोई लूटने के लिए आये थे तो उन्होंने कहा--नहीं। कही पर बैंक लूटा जा रहा हो तो स्वाभाविक है पुलिस दौड़ेगी। पुलिस आती है और गोली चलाना शुरू कर देती है और मंत्री महोदय बतलायेंगे कि गोली पीठ में लगी है या छाती में लगी है। जब एन्काउटर होगा, आमने सामने, जैसा आप कहते हैं तीन चार हजार लोग थे, उनके बीच में गोली चले, एक तरफ एक आदमी के छर्रां न लगे और एक तरफ तीन आदमी मर जायें, दो आदमियों के गोली लगी और वही मर गए, तीसरे के पांव में गोली लगी। वह आदमी कह रहा था मेरी बात सुन लीजिए तब गोली चलाइये लेकिन पुलिस तो यह दिखलाना चाहती थी कि हम सर्वेसर्वा हैं और पब्लिक की कोई भी वैल्यू नहीं है, उन्होंने उसको मार दिया। उसके बाद लड़की को दोनों पांव पकड़ कर गाड़ी में से खींचकर निकाला जाता है और फिर नंगा करके शहर में घुमाया जाता है। जैसा कि दण्डवते जी ने कहा अगर किसी ने उसको लुगी देने की कोशिश की तो पुलिस के द्वारा उसकी पिटाई की गई। उसके बाद हम लोगों को कुछ लोगों ने बतलाया (व्यवधान)

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): I am on a point of order, Sir. My point of order is this. I am entitled to make a point of order. The hon. Minister has said in this House that a judicial enquiry has been instituted. That means that the matter is *sub-judice*, concerning certain aspects. My friend is going on saying things like "This could not be done—they shot from behind. It was broad day-light. Robbery could not be committed." This is prejudicial to the judicial enquiry. You will be creating, with utmost respect I am submitting Sir, a wrong precedent.

श्री राम बिलास पासवान : मैं फ्रैंक्त्स बता रहा हूँ जोकि सामने आये हैं। ये सारी बातें अबबार में आ चुकी हैं।

उसके बाद हम लोगों ने लोगों से पूछना शुरू किया। एक डाक्टर है, उनके पास हम गए। जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो मालूम हुआ जैसे गुण्डों का कोई आम्ब गैंग आ गया हो और वह उस मकान को तोड़ देगा। डाक्टर ने कहा कि यह एस.एच.ओ. के भेजे हुए आदमी है। हमने कहा डरिए नहीं, हमारा सिर टूटोगा, कोई बात नहीं। उसने कहा आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हम बाहर आये और कहा यह क्या मजाक हो रहा है। वहां पुलिस खड़ी थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जो पुलिस गोली चला सकती है क्या वह पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। पुलिस कहती है कि पब्लिक ने नंगा किया तो पुलिस गोली चला सकती है वह पब्लिक को रोक नहीं सकती है। जहां गोली चल रही हो क्या वहां पर पब्लिक खड़ी रहती है? जब गोली चल रही हो तो पब्लिक अपने घर में चली जाती है। इसलिए जो वस्तीस्थित है उससे हमको मुकरना नहीं चाहिए। उस दिन मैंने कहा था, जब गृह मंत्री जी जा रहे थे, कि जिस ढंग से आप जा रहे हैं इसमें आप इन्क्वायरी नहीं कर पायेंगे। जैसा कि दण्डवते जी ने कहा जिस दिन मंत्री जी गए उस दिन 4-5 हजार सिपाहियों को सादी ड्रेस में और वदी में रखा गया था अफसरों के द्वारा ताकि उनको मिलने न दिया जाए। मंत्री जी को गेस्ट हाउस में रखा गया और वहां सारे के सारे लोग लाये गए। एक से वे मिल पायें, शायद राजनारायण जी आ गए थे इसलिए। गृह मंत्री जी ने कबूल किया है कि जिस ढंग से इन्क्वायरी की गई है उस ढंग से जो हकीकत सामने आनी चाहिए वह नहीं आ सकती है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब भारत की सरकार कविंस्ड है, इस बात को मानती है बल्कि दोनों पक्ष मानते हैं कि उस लड़की को नंगा किया गया, उसको घुमाया गया, बेइज्जत किया गया, अब किसने नंगा किया और क्यों नंगा किया, यह दूसरी बात है कि लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पुलिस जिम्मेदार है। क्यों नंगा होने दिया या क्यों पुलिस ने नंगा किया? यदि पुलिस नंगा करती है तो भी पुलिस जिम्मेदार है और पुलिस के सामने नंगा

[श्री राम विलास पासवान]

क्रिया जाता है तो भी पुलिस जिम्मेदार है। इसलिए यह सरकार इस जवाबदारी से अपने को बचा नहीं सकती है। कहीं कोई घटना घट जाये। चाहे वह धारायणपुर का काण्ड हो या और कोई काण्ड हो, अगर दूसरी जगह कोई गलत काम हो जाये, तो क्या यहां पर भी वही गलत काम करवायेंगे? अगर दूसरी जगह कहीं गलत काम हो जाये, तो यहां पर भी वही काम करें, तो एक कीचड़ से दूसरी कीचड़ को धोया नहीं जा सकता है। इस लिये मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा—गृह मंत्री भारत का स्वराष्ट्र मंत्री होता है, यदि वे इस बात से कन्विन्स्ड हैं कि महिला के साथ इस तरह की दुर्गति की गई है, वह महिला भी इन से आ कर मिली है, इस लिये यदि वे कन्विन्स्ड हैं तो इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निन्दा की जाय, वह कम है।

19 hrs.

मैं आप से कहना चाहता हूँ आप की सरकार दिल्ली में है, आप की सरकार उत्तर प्रदेश में है और आप केवल यह कहते हैं कि शर्मनाक घटना घटी है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम सिर्फ उस का ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर क्या कोई पनिसमेन्ट है, क्या स्थानान्तरण कोई पनिसमेन्ट है? कोई पनिसमेन्ट नहीं है। जिस एस. एच. ओ. ने किया है, उस का तो अभी तक ट्रांसफर भी नहीं किया गया है।

अध्यक्ष जी, जैसी मुझ को जानकारी मिली है, इन्होंने इस काम पर सी. आई. डी. बहाल की थी और सी. आई. डी. की रिपोर्ट भी इनके पास आ गई कि उस लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया गया था। उसके अनुसार पुलिस को कड़ी से कड़ी सजा देने चाहिए, यह पुलिस की ज्यादाती थी.... इस बात को सी. आई. डी. ने भी कहा है। सी. आई. डी. की रिपोर्ट आ गई है...

अध्यक्ष महोदय : अब खतम कीजिए ।
अस को कैसे पता है ?

श्री रामविलास पासवान : इस सदन में रक्षा मंत्रालय की भी गोपनीय चीज खोली जाती है, लेकिन यह कैसे मालूम हुआ है— किसी सदस्य से पूछा नहीं जाता है। इस लिये मुझे जो जानकारी मिली है, वह गलत भी हो सकती है, इस को गृह मंत्री जी बतलायेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ने जूडीशियल एन्क्वायरी के आदेश दे दिए हैं और सी. आई. डी. की रिपोर्ट आ गई है और सी. आई. डी. ने माना है कि उस के साथ जुल्म किया गया है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सी. आई. डी. की रिपोर्ट पर काम कीजिए और वहां के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कीजिए। वहां के एस. पी. को भी जानकारी थी और उस का भी इस में इन्डायरेक्ट हाथ था। एक तरफ एस. पी. की प्रैस कान्फ्रेंस हो रही है और आप कहते हैं कि यह जूडीशियल मैटर है। अगर यह जूडीशियल मैटर है तो डी. एम. और आई. जी. यह कैसे कहते हैं कि वह डकैत था। इस लिये मैं आप से कहता हूँ कि वहां के लोकल पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कीजिए, एस. पी. को सस्पेंड कीजिए, आई. जी. को ट्रांसफर कीजिए और उन लोगों के खिलाफ रेप का, बलात्कार का मुकदमा चला कर जेल में बन्द कीजिए, तब आप की इज्जत बचेगी और देश की भी इज्जत बचेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur):
Mr. Speaker, Sir, before I put the facts of the incident at Baghpat, before the House I would like to throw challenge to my opposition colleague that what I speak here I speak with my conscience and perfectly the truth, not political hint in this. The incident took place on 18th at 12.20 hrs. This is my effort of four days' working at Baghpat, not going in a delegation, not going with government's permission. I had gone to the common people and had taken their point of view.

(Dis.)

The incident took place at 12.20 hours in an Ambassador Car with the mark. UPG 6005, white colour, halted at Baghpat Chowk. It had seven persons including a lady. They stopped the car and asked for three glasses from a khoncha very close to Baghpat Chowk. There were bottles of whisky and beer. These were even traced out after the incident and the broken bottles are still lying in the car. When they were offered the glasses, they took two glasses of wine, quarrel broke among them. This is a fact that firing started among them and not the police. When the firing started.....(Interruptions) When the firing took place, two rounds were fired... (Interruption) by Ishwar Tyagi (Interruptions) in the two rounds of firing, two persons out of these seven were seen running towards Tatri and they fled away from there. The moment firing took place, one sepoy, who was going in a rickshaw towards police station was stopped. He recognised Ishwar Tyagi. Ishwar Tyagi is a famous dacoit of that area. If anyone has got a doubt, I have the list of the cases registered against this name in different police stations. You can verify them. It is a fact that he has not been required in sales tax or income tax cases.

He is required in murder and dacoity cases. When the firing took place... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let him speak. Why are you speaking?

(Interruptions)

SHRI RAJESH PILOT: This police chap went to Ishwar Tyagi and asked him, what happened? He shouted back. This police chap went to the police station, brought two ASIs and four constables with him. They reached the spot. After they talked to the occupants of the car the police men recognised that they were Ishwar Tyagi and Surinder Singh. Ishwar Tyagi is also wanted in Bulland Shahr and other

places in many cases. Then the chaos started. After that these people took positions. Firing took place. In this firing three people were killed. I would like to know from these people, if public was not co-operative with the police how could these four Police men kill these three persons and none of the policemen would have been killed. This is the public which threw stones over the dacoits and made the dacoits not to fire correctly at the sepoy and none of the constables got hurt and these people were killed by shots fired by the police.

(Interruptions)

After the firing took place, when these people had died, this lady was seen by so many people. She was throwing cartridges from the car. She had ammunition in the car. She was seen giving that ammunition. There was firing.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): This will also prejudice the enquiry.

SHRI RAJESH PILOT: This lady, as per the information divorced her husband and married Ishwar Tyagi. Whether it is correct or not, it is not known. She belongs to Shankar Putti and Rattan Giri which is very close to Baghpat. After this they took care of this lady from the car and I was told this lady tried to hit from the car with whatsoever was available. The police chaps got hurt. Driver Laru, which is his fake name; is known by different names and the car is registered in a different name, insured in a different name. The Driver's licence and photograph—name is different and photograph is of a different person. When the police caught these people, people were bringing this lady and driver to the police station—from Baghpat chowk upto Dak Khana. There is a post office there.

There was a crowd of 2,000 people. There is no doubt about it. People had complained that the crowd teas-

[Shri Rajesh Pilot]

ed her. People had torn her sari and clothes. There is a chap called Mehru. He is a shop keeper of a Pan shop. He threw tehmad on her. It is a fact that her clothes were torn. But none of Baghpat people has asserted that she was naked—completely naked. I have checked it up. Nobody has said that he has seen with his own eyes. She was taken on the road. They say clothes were torn from all parts of the body and she was in a bad condition. Mehru threw his tehmad on her. With torn clothes she was taken to the police station. I would like to ask a question from these friends, is there any possibility to rape a woman when there is a crowd of 2,500 people? I want yet to see such persons in India who can rape a woman when 2,500 people have gathered in the police station, when 2,500 people are waiting outside? Which policeman can rape a woman in these circumstances? Has anybody got the guts to rape a woman, the rape which they say? It is not proved. In her statement which she has given to the police... (Interruptions).

It is a damage in her private parts, not rape.

She has put an application claiming that she has been raped by . . .

PROF. MADHŪ DANDAVATE: Lady Dr. has examined her.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Truth cannot be concealed.

SHRI RAJESH PILOT: It has been claimed that she has been raped by nine persons. They have given the names. They have given the sequence how she has been raped. I fail to understand this story that a woman who, after even nine people raped her, will know who has raped her. At least seventh or eighth time, she would have known who has come and who has gone.

She has given the names saying that he raped me first, he raped me second and so on. It is all built-up story. After that, she was handed over to the police and she was taken to a doctor. She was sent to Meerut. S.H.O. Gaur of Meerut reached the spot after all this had happened. She was handed over to police custody at Meerut. I want a few clarifications about the points which our colleagues have made. Firstly, if she is from a respectable family, why yet there is no bail application from any of her family members or any of her relations going to the police station, giving some statement or going to some Government authority? Only political parties are doing everything. Mr. Raj Narain reached Meerut and it has been told to us that he made a trunk call from Delhi to the CMO, Meerut that this thing should be looked after. He is camping in Baghpat. They say, they are not giving it a political colour. They were supposed to hold a rally today and this is what their poster reads:

“चौधरी चरण सिंह की सिंहनी आवाज।
चौधरी चरण सिंह की सिंहनी आवाज सुनने
बागपत चलो 4 तारीख को, चौधरी चरण
सिंह अत्याचारों के बारे में बोलेंगे।

I want to know from Chaudhury Charan Singh, the same type of rape took place in Baraut in 1978 when Shri Ram Naresh Yadav was Chief Minister. A Muslim, lady Nizamuddin was raped. What had happened to that? Nothing happened.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN (Kanpur): I had raised the matter in the Assembly at that time. (Interruptions).

SHRI RAJESH PILOT: I shall leave it there.

As I was saying, if her family members are there, why did not they go in for her bail? Why only the

political parties are running after her? Why can't they let the common people talk to her? She is under custody. She has come to Delhi and she is staying here. She has been taken over. They have taken full control of her. They have not allowed the common persons to meet her. When I talked to the people in Baghpat and asked them, "What is your opinion about this case?", they said, "Sir, these people are dacoits. They are known in that area. I have collected information from various police stations where they were required. Either I will prove that they were dacoits or they should prove that they are gentlemen. The moment it is proved, the story changes. (Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : रेप और डेकायट्म

दो अलहदा-अलहदा बातें हैं ।

(Interruptions)

SHRI CHARAN SINGH (Bhagpat): They are pressing the point of dacoits in justification of their killing. That is the point. Otherwise, what relevance is there whether they were dacoits or good people?

(Interruptions)

SHRI RAJESH PILOT: I have got to tell the facts. If they were gentlemen, there would not have been chaos. If I travel with a lady, if somebody is harassing, I will keep quiet and pass the time. But they were dacoits. They are described in the Gazette of U.P. as dacoits. I want to know, if a lady travels with such a notorious group, maybe his wife or somebody else, tell me, what public opinion can be formed among the people who have gathered there? When the firing is taking place, the lady is supplying bullets to them. How can the people have respect for that lady? You can quote International Women's Year or anything. If she is a lady, she should behave like a lady.

Not that when she is a lady, she be-

haves like a dacoit and give mercy to Putlibai, a dacoit. My point is that they are giving it a political colour. They are all changing into a political thing. They are making a rally on 6th again. They have postponed the rally saying that it will be held on 6th. If they are not giving it a political colour, let the action be taken after the matter has been discussed in the Parliament. Why should they hold rally before that? When Choudhary Charan Singh was going to Baghpat, why did he cancel it? There is a complete political layout of this. The only thing is that they are feeling that they have lost in the western sector of UP and nothing else. They want to make use of the situation.

We are a responsible people elected from different constituencies. If we do not give proper rights to the administration, particularly the Police which has to control the whole nation and harass the Police on such occasions, what can you expect in future from the police administration? We have to control the country's discipline. If we do not give police right place and right direction and harass them, Police will have no meaning for themselves.

I would request you to inform the political parties that till such time the judicial inquiry is not over, no political meeting or rally should be held.

(Interruptions)

Let the truth come out. If somebody is found guilty, we will be with you to get him punished. We are also citizens of this nation. We want this country to come up in a correct fashion and not according to the political requirement or political needs.

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): Mr. Speaker, Sir, Mr. Madhu Dandavate spoke in the House as if a social reformer was speaking but truth came out when he said that when the Home Minister went to Baghpat. It

[Shri R. L. Bhatia]

was a stage-managed show. If at all, it was a stage-managed show, it was by your friends sitting on your right, who arranged a rally, who shouted and did not allow them to hold the enquiry there properly.

Secondly, he also mentioned when my friend said that the lady was also a dacoit, that it is not an established fact. Is it an established fact that the rape took place? When the matter is referred to the judicial inquiry, let the facts come out and then we can talk about establish facts.

Mr. Paswan said that no political touch should be given to such a serious thing. May I ask him through you: is it not a fact that Mr. Jagat Singh, who was a defeated MLA in the Assembly elections, was staging a demonstration? He entered our room where we were holding an enquiry. I must tell him because I was also there with the Home Minister, that he did not let the work take place. Is it not a political thing? What you are saying here is that no political touch should be given and your representatives were trying to stop the enquiry.

श्री रामविलास पासवान : रेप होगा तो बोलेंगे भी नहीं क्या ?

SHRI R. L. BHATIA: Let it be established. If it is established, we will be one with you. You are not above law. No judicial enquiry has been entrusted to you.

We went with the Home Minister on the 1st to Baghpat. Over there many people came to see us. The enquiry started. There were two versions that came to us. One was that some people came in a car in the chowk police arrived, firing took place and the lady was removed to the thana while she was naked. The other version was that those people who were drinking in the chowk

quarrelled among themselves. Someone in that area reported to the police that those people had fire arms with them and the quarrel might not turn into a serious thing. When the police arrived, these people tried to run away. Police opened fire and those people also replied by firing on the police. Ultimately, three people killed and two ran away. This lady remained in the car. (Interruptions) I am just telling the facts before the House. I am not passing any judgement like Mr. Dandavate or Mr. Paswan. I am simply placing the facts before the House so that the hon. Members may be able to reach a conclusion. I am not passing any judgment.

So, the lady was being removed from the car. She was sitting in the car. The police were trying to push her out and she was holding on to the car. In that scuffle her clothes were torn. It is a fact. There is no denying this fact. Then the lady was taken to police chowki. Then, when the people from both the groups came to see us we enquired from them: "Were any of you present when all these things took place?" They said: "No, we reached late. When we heard, we reached there." There is no eye-witness who came forward to give the evidence. There were two gentlemen who incidentally came to the town and they came and swore before us and said that those people were really drunk. It is a fact that the lady was not going with the police. She was trying to stop and while they were trying to snatch her, her blouse was torn. Then all those 2 to 3 thousand people followed the lady and the police to the police station. Then, when those 2 to 3 thousand people were also present outside, how is it that a lady could be raped in a thana and at a time when it was just 1 o'clock in the day, at noon? How she could be raped at that time?

Then, Sir, Mr. Raj Narain also came there. He said: "I also want to tell

you what happened." The Home Minister was very nice, he offered him a chair, he offered him a glass of water and heard what he wanted to say very patiently. Then, Mr. R. K. Garg, Supreme Court lawyer, also came. He is a friend of mine, he belongs to the Communist Party, as my friends here will bear me out, he took the trouble of going to Baghat on the day when the Home Minister went and there were no lawyers from outside, there were two local lawyers with him and he wanted that he should be heard. We very quietly asked him to sit down and we heard what he wanted to say. He was pleading the case like this, as Prof. Madhu Dandavate was doing, like a lawyer. When we asked 'Were you present when the incident took place? Are you an eye-witness?', he could not satisfy us.

May I tell you what the facts are? The facts are....

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Did you see that?

SHRI R. L. BHATIA: I don't say that. I am just telling you what the witnesses said before us. I don't pass any remarks.

What happened was that that area is a citadel of Chaudhuri Charan Singh Ji, our honourable friend. In the last election he lost it. So, they were all anti-police, they were against a particular man, Mr. Gaur, who is S.H.O. because he was courageous enough to let the Harijans go to the polling booth and vote for the first time. (Interruptions). Ch. Charan Singhji never let the Harijans vote because Harijans are pro-Congress. So, Mr. Gaur was responsible for casting of votes by the Harijans. So, they are all against Mr. Gaur. Incidentally, Mr. Gaur was not there when this incident took place, but they were saying 'Gaur, Gaur, Gaur'. Even Mr. Jagat Singh, the candidate of the Lok Dal said: "If you remove this man, Gaur, the situation will be defused." He came out openly to say that this man was the trouble-maker, and that if he removed, the situation

would become all right. But this man was not there.

I agree with Prof. Dandavate and other friends that we are discussing a very serious matter. But the question is that an incident took place, we are all very much concerned about it, we want that the truth should come out, we want that something should be done so that in future such incidents do not take place. But before we do anything, there are certain questions that must be answered.

Firstly, what was the provocation for the dacoits to start firing? Secondly, what made the police kill three people, why did they have encounter? Every day they move in the streets, they do not kill people like this. There must have been something. That something we want to find out. (Interruptions). If they are really guilty, we will be one with you, I assure you that we will see that they are punished, and our Home Minister has already made a statement about it. You should be satisfied with it.

Thirdly, was Mr. Gaur, who is the target, present on that day on duty when this incident took place? Fourthly, it is said that the woman was pregnant and that abortion took place because of the beating of the police. This is a very serious matter. This must be enquired into whether actually abortion took place. Fifthly, it should be enquired into whether rape took place in the police station, whether it is possible when there were 3,000 people present. Let the judicial enquiry look into this and let their judgment come before us.

My appeal to my hon. friends on the other side is this. This is a very serious matter. We are all one in desiring to punish the people who are responsible for it, but let us create the conditions, let us create a situation, in which the culprits may be found, those who are responsible can be identified. You are not concerned

(Dis.)

[Shri R. L. Bhatia]

with Maya Tyagi or others, you want to make a political gain out of it. That is why you are having rallies, taking advantage of the situation. You want to see that the responsibility is fixed on the Government. But may I request most humbly...

MR. SPEAKER: Please wind up now.

SHRI R. L. BHATIA: ... that we should await the result of the enquiry. We will then debate and deliberate and certainly punish those who are responsible.

Has any Home Minister in a situation like this ever gone personally to study it? It is goodness on the part of Giani Zail Singh, and you are taking advantage of that. He went there like a perfect democrat in order to satisfy your demands that he should go and report.

So, a judicial enquiry has been ordered. The officers have been transferred as you wanted. Now let the truth come out, let us await the report.

MR. SPEAKER: Five minutes to Mrs. Geeta Mukherjee.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): I was the person who went there first on the 21st. I have also seen the woman.

MR. SPEAKER: You can conclude in five minutes, I know.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: I would entreat you to give me a little more time.

MR. SPEAKER: No, nothing more.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: First of all, the Home Minister's statement has referred to the fact that a very shameful thing happened in Baghat. What was it? Something must have happened which is called shameful.

MR. SPEAKER: This is repetition. You make a new point.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: I went there before anybody else, I was the first woman M.P. to visit the place on the 21st itself. You know I gave a calling attention, but due to the unfortunate death of Shri Sanjay Gandhi it was put off. That is why I am entreating you to give me a little more time. I have also seen the woman. On that day, on the 21st, when I went there, I not only examined the local people, but I went to the police station also to take their version. So you cannot say that I was prejudiced against this or that. Something very shameful has taken place and now the question is, who is responsible for it and what is to be done about it? That is the primary question that I am posing at the moment. Before I went to the police station, many members of the public told me about this incident, which has been described by Prof. Madhu Dandavate and I am not going to repeat them. This woman was stripped, she was bleeding, she was beaten and taken to the police station. I asked Mr. Singh, a sub-Inspector of Baghat Police station, whether such things took place. He did not say 'nothing like that has taken place'. He said: "it was the members of the public who did it". Even then he did not say that these things did not take place. Now, why should the members of the public do this thing? Three people accompanying this particular lady were killed in the police firing on that spot. In our country, has anybody ever seen such a thing where when some persons have been shot dead by police and the dead bodies are still lying, the public taking the side of the police, and stripping a lady and doing all such kinds of things? Secondly I asked him: "If you say that the public did it, how is it that you, having the superior fire power of killing three persons, did not arrest the accomplice of the so-called dacoits, who was alleged to have sup-

plied ammunitions to them?" You will be surprised to know the answer he gave. He said: "Oh! you are sorry that I was not shot dead." He could not say, why she could not be arrested. He was saying: "When we were running helter-skelter, how can we arrest her? Who was thinking of all that?" Is this the attitude of the custodian of law and order in a place where such a shameful incident has taken place? While talking about the incident, the Home Minister himself says that our heads are hung in shame. I asked the S.I.: "You say that they fired. Then, those bullets must be somewhere. Did it not hit, if not the police or the members of the public, any building, tree, shop or any other spot? Did you find the bullets?" He said: "We did not have time to find all that. We were running helter-skelter, very much overwhelmed. In such a situation, how can we do it?" Look at the attitude of this S.I., Mr. Singh, with whom I was talking. He did not at all feel that something should have been done for protecting this woman. He did not think it necessary to answer a responsible MP, who is not a part of the alleged politicking, if there is any, who is not any one of the principal political parties who are in dispute there, who went with a women's delegation. This was the answer he gave. If today certain women's organisations and social organisations are demanding that these police officials should be removed, suspended and arrested, as otherwise there cannot be any impartial enquiry, is it all wrong? Is it not a right apprehension that the enquiry will not be conducted really in a proper way if these people are not given some punishment? After all, suspension is not a punishment. I am not going to repeat what all Prof. Madhu Dandavate had said.

I am coming to another question. That is about the enquiry, its terms of reference, etc. Nothing has been said about the duration of the enquiry. I will request that this judicial enquiry, to be somewhat convincing, should be done under the Commis-

sions of Inquiry Act, 1952. But since it is a single incident and very few people are involved, that can take place very quickly. I think, a stipulation of time should be made so that this House can again hear and find out what actually happened to the culprits who put this woman to horrible dishonour, rape, etc. inside the police station. Things inside the police station can be investigated. But one fact need not be investigated and that is how she was horribly treated before the public eye. The police people were responsible for it, either directly or indirectly, in my opinion directly.

As you are not giving me enough time, I want to tell you only this much. I went to the place of this girl's father in the dead of night, on the same night. I asked her father, "Do you have a daughter like that?" He said: "Yes." I asked, "What is the name of her husband?". He said, "Shri Ishwar Dayal Tyagi." I asked him, "Was there divorce?". He replied, "No." The police people told me that she was the mistress. So, I asked her father: "Is she the mistress?". He answered, "No, never. He is my son-in-law." I asked all this from her father on that very night. As for the friends who said that none of the members of their family came, this is not true. I was waiting till his brother returned from Meerut after taking her out of the hospital. The advocate who bailed her out is also an inhabitant of her own village. He went to Meerut with this girl.

Lastly, I would only say that much is being talked about politicking. But all this would not have happened at all if, after this shameful incident was reported in the Press it had been taken serious note of by the Government. If I having no car, nothing of the sort, could rush to Baghat on the 21st itself, how could not the Home Minister and the present Government take cognizance of this very serious incident, immediately suspend those police officers who were responsible at least for serious dereliction of their duty?

[Shrimati Geeta Mukherjee]

Then, nobody could do any politicking. If any politicking is there, it is because of the blatant defence of the police and of the horrible thing done to a woman. I entreat and implore the members of the ruling party not to be the advocates of police atrocities after this serious incident and not to be the advocates of dishonour of women. The women's organisations who have sent a *rakhi* to you for defending the honour of women should be accepted by you even at the last moment and I appeal to you that you cease to be the advocates of police atrocities.

श्री अरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) :

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ सदन में सुना है और जो कुछ अखबारों में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारे में किस प्रकार अपनी भावना व्यक्त करूं? . . . (व्यवधान) . . . आप मूझे मेहरबानी करके बोलने दें। अगर यह घटना सच्ची है तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निन्दा की जाय कम है और हमारे विपक्ष के सहयोगियों ने जो एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है कि महिलाओं के सम्मान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी है और जैसे हम यहां पर बैठे हुए लोग . . . (व्यवधान) . . . देखिए, मुझे बोलने दें। कोई हम बलात्कार के हक में हैं या अगर पुलिस ने ऐसा काम किया है तो हम पुलिस का पक्ष ले रहे हैं, पहिले तो मैं इस धारणा को यह कहना चाहता हूं कि यह धारणा गलत है, राजनीति से प्रेरित है अगर यह धारणा बनाने की व कोशिश करते हैं। इस देश की जनता ने जिस में बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, हमारी नेता महिला हैं, हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, जानमाल, सम्मान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी। हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को

निभाएंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा अगर इस तरह की घटना हुई है तो उस की जितनी भी भर्त्सना हो कम है। लेकिन एक बात है, मुझे बड़ा एक अजीब खयाल आता है कि महिला के प्रति सम्मान क्या उन सीटों पर जाने के बाद जागृत होता है? महिला के सम्मान का प्रश्न है तो महिला को अपमानित चाहे काश्मीर में किया जाय, चाहे केरल में किया जाय, चाहे बागपत, बड़ौत में किया जाय, चाहे लखनऊ कानपुर में किया जाय, अगर अपमान और सम्मान का मामला है तो वह चाहे जहां हों, हम चाहे जिस जगह पर बैठे हों, उसके प्रति हमें बराबर चिन्तित होना चाहिए। मैं उस घटना को भूल नहीं पाता हूं, तीन महीने हुए थे उत्तर प्रदेश की सरकार को, चौधरी साहब के चहेते श्री राम नरेश यादव वहां के मुख्य मंत्री थे, उस सरकार में मैं भी था उपमंत्री, शायद पूरे भारत में सबसे कम उम्र का मंत्री था—मूझे आज भी याद है लखनऊ के पुराने इलाके को ऐसा बना दिया गया था पुलिस की गोलियों से—पहले तो खास तौर से राजस्थान से इम्पोर्ट करके श्री लालसिंह वर्मा को आई०जी० बनाया गया, उन्होंने मुझ से थाने में कहा कि मैं आपको वहां जाने के लिए मशिवरा नहीं दूंगा लेकिन मेरी गाड़ी पर झंडा लगा हुआ था इसलिए रोक भी नहीं सकते थे। मैंने कहा जाऊंगा। मैं 8 बजे उस इलाके में पहुंचा। शायद मैं अकेला आदमी था, उस मौके पर जब गोलियां चल रही थीं मैं उस जगह पर पहुंच गया। तो जब मैं एक फ्लॉग निकल गया था तब आई०जी० ने पीछे से एक ट्रक पी०ए०सी० भेजी थी। आप यकीन मानिये, मेरी आंखों का देखा हुआ है, सुना हुआ नहीं है, मेरी गाड़ी को देखकर पुलिस वाले छतों से ऐसे कुद रहे थे जैसे कि मालिक मकान को देख कर चोर भागते हैं। मैं मंत्रिमंडल में था, सरकार का हिस्सा था, मैं ने सब कुछ आकर सदन में बताया। अगले दिन मैं कानपुर पहुंचा। (व्यवधान) यह चर्चा केवल माया त्यागी की नहीं है—हमें पूरी हमदर्दी है अगर उनके साथ ऐसे हुआ,—लेकिन

यह चर्चा है महिलाओं के सम्मान और अपमान की, चर्चा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। हम यही जानते हैं, हमें इस देश में बताया गया है, हमारी यह सभ्यता है कि कन्या और गैया—इनकी इज्जत अगर न हो तो सब बर्बाद हो जात है। इसलिए यहां पर महिला के अपमान और सम्मान का मामला है। (व्यवधान) कानपुर में मुझ से कहा गया कि इस मकान में जरूर चले जाइए। श्री अब्दुल्ला बुखारी, जोकि आज हमारे विरोधी हैं और हरिकेश जी के मित्र हैं, वे भी हमारे साथ थे, हरिकेश जी उनसे मालूम कर सकते हैं (व्यवधान) मैं हरिकेशजी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, कह रहा हूं मालूम कर लीजिए। मैं उस घर के अन्दर पहुंचा। उसमें तीन औरतें थीं—दादी, बेटा और बहू। (व्यवधान) जी हां, मैं मिनिस्ट्री में था और तीन महीने के बाद छोड़ दिया था। मैं यह बताना चाहता था कि कर्फ्यू एक घंटे के लिए खूला ताकि लोग आटे दाल का इन्जाम कर सकें लेकिन 45 मिनट में फिर लगा दिया गया, लो अपने घरों को लौट भी नहीं सके। तो जिस घर में मैं गया वहां औरतों ने हुपट्टे नहीं हटाए और इस तरह से रोई कि मैं आपको क्या बताऊं। कर्फ्यू लगने के बाद मैं सिपाही घर के अन्दर आया और वह लड़की जिसकी 8 दिन के बाद शादी होने वाली थी, उसके साथ उन्होंने जो कुछ किया, उसके साथ बेइज्जती की और उसके देहेज का सारा सामान उठा ले गए। मैंने अगले दिन उत्तर प्रदेश के सदन के अन्दर आकर यह बात बतलाई थी। लेकिन, श्रीमन्, उस जमाने में अगर बड़ीत में किसी मुसलमान महिला के साथ बलात्कार हो और वह क्षेत्र भी चौधरी चरण सिंह जी का था, तो उस महिला के अपमान के प्रति इनकी अन्तःत्मा नहीं जागी। कानपुर में 18 साल की लड़की जिसकी 8 दिन बाद शादी होने वाली थी. . . उसके साथ बलात्कार हुआ. . .

अध्यक्ष महोदय : आप बागपत पर आइये ।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : फिर भी इन की अन्तरात्मा नहीं जागी और लखनऊ में जो कुछ हुआ. . . . (व्यवधान) सुनने का दम रखिये. (व्यवधान) अगर ये किस्से इन के जमाने के, इन को बुरे लगते हैं तो मैं नहीं सुनाना चाहता. . . . (व्यवधान) मैं ऐसी बात सुनाना नहीं चाहता, जिस पर इन को ऐतराज है, मैं दूसरी बात कहता हूं. . . (व्यवधान) जरा खामोशी रखिये, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ताज्जुब होता है (व्यवधान)

PROF MADHU DANDAVATE:
Sir, he is going into the working of the Ministry and all that. ..(Interruptions)

श्री आरिफ मुहम्मद खां : वह महिला नहीं थी, महिला तो माया त्यागी है। वह कानपुर की महिला नहीं थी. (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I know what he is taking about. The question pertains to women. (Interruptions)

श्री आरिफ मुहम्मद खां : मैं वह बात जो बुरी लगती है नहीं कहता हूं.

अध्यक्ष महोदय : आप खत्म करिये ।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : मैं उन मामलों को नहीं गिनाऊंगा जो इन को बुरे लगते हैं मैं केवल एक बात कहता हूं—दोनों पक्षों की तरफ से जो बातें कही गई, इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि, महिलाओं का सम्मान हो इस के प्रति जागरूक है, लेकिन फिर भी इस तरह

[श्री आरिफ मुहम्मद खां]

की घटनायें होती हैं;—क्यों ? मेरा यह विश्वास है कि नैकनीयती से यदि किसी बात पर चिन्ता व्यक्त क जाय और उस सिलसिले में कदम उठाये जाय, तो उसका फल अच्छा निकलता है । मैं यह मानता हूँ कि यह वक्त्र भाषण का वक्त्र नहीं है । हम सब अपनी अन्तरात्मा टटोलें और देखें कि बागपत में होने वाले इस किस्से, से, जो माया त्यागी के साथ तथाकथित अपमान हुआ है क्या सही मायनों में हम उस से चिन्तित है या ऐसी बात तो नहीं है कि हमें चिन्ता है किसी और चीज की । जैसा मैंने पहले भी कहा था कि महिला तो महिला है, चाहे किसी जगह की हो । महिला के सम्मान के प्रति मैं आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ । उन्होंने कहा है—जो कुछ हुआ और जो मुझे बतलाया गया, अगर यह सच है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है । हमारा सब का सिर शर्म से झुकना चाहिये

श्री हरिकेश बहादुर : लेकिन आप का नहीं झुका ।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : हमारा सब का सिर शर्म से झुकना चाहिये । अगर यह बात सच है तो इस की जितनी भर्त्सना करें कम है । लेकिन भर्त्सना और निन्दा उस की भी की जायगी, जहां महिलाओं के सम्मान और अपमान की बात को लेकर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश की जायगी ।

25 सालों में पहली बार कुछ ईमानदार अफसरों के उस क्षेत्र में भेजे जाने के कारण ऐसी बात हो रही है । जरा याद कीजिये, केवल एक साल पहले, पार्लियामेन्ट्री चुनाव के पहले, वहां पर

11 बसेरा बे, जिन में से 10 एक जाति के थे (व्यवधान) क्या यह तथ्य नहीं है ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस भाग में पहली बार राजनीतिक जमींदारी जो लाठी के आधार पर की जाती थी, उस राजनीतिक जमींदारी को तोड़ा गया और उस राजनीतिक जमींदारी के टूटने से आज ऐसी बात कही जा रही है । वरना मैं कहता हूँ—जरा अपने दिल पर हाथ रख कर देखें और सोचें—बड़ौत और बागपत के क्षेत्र में कितनी हरिजन महिलाओं के साथ रोजाना इस तरह के दुराचार होते हैं । जरा अपने दिल पर हाथ रख कर देखें और सोचें—कितनी महिलायें जब वे उस अमानवीय सुलूक को मानने से इन्कार करती हैं तो उन का खेत पर घास काटने जाना बन्द कर दिया जाता है । एक किस्सा नहीं है, न जाने कितने किस्से हैं—क्या वे महिलायें नहीं हैं ? (व्यवधान)

मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, केवल एक बात कहने की इजाजत चाहता हूँ—बहुत हल्की सी बात कहता हूँ—हम फिल्म देखने जाते हैं, अक्सर उस में देखा जाता है कि जब कोई भली लड़की विलेन की बात नहीं मानती है, तो अपने ही किसी गुण्डे साथी से उस पर हमला कराता है और खुद उस को बचाने के लिये पहुंच जाता है, अपने ही साथी को मार कर भला बनने की कोशिश करता है । हम राजनीतिक लोग यह सोच लें कि कहीं ऐसा न हो, लोग कहने लगे कि ये तो इसी बात का इन्तज़ार कर रहे थे कि दूसरे पर कब मुसीबत पड़े और कब आ कर आंसू बहायें । इस से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश न करें

मेरी प्रार्थना है कि आप जरा अपनी अन्तरात्मा को टटोलिये और देखिये—

क्या सच्चे मायनों में महिला के सम्मान और अपमान के प्रति हम जागरूक हैं ? यदि सच मायनों में जागरूक हैं तो इस पक्ष के लोग भी कटिबद्ध हैं महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के मामले में, चाहे वह माया त्यागी हो या कोई दूसरी महिला हो, कोई असर नहीं उठा रखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आप को धन्यवाद देता हूँ।

MR. SPEAKER: Shri Mani Ram Bagri. (Interruptions)

SHRI HARIKESH BAHADUR: I want to speak.

MR. SPEAKER: I shall have to extend it according to the number of Members wanting to speak. There is no time. If everything that has been said has to be told again, then, we will have to sit for four hours.

SHRI HARIKESH BAHADUR: I will speak for three or minutes.

अध्यक्ष महोदय : अगर आप को बुलाऊंगा तो सब को टाइम दूंगा

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी। आप पाँच मिनट में अपना भाषण खत्म कर दीजिए।

..... (व्यवधान)

समय निर्धारित कर दूँ दो, दो मिनट। अगर पार्टी के हिसाब से बोलना चाहते हैं, तो फिर इधर वालों को भी बोलने का समय दिया जाएगा। मनीराम बागड़ी जी, आप बैठिये। पहले श्रीमती गोपालन बोल लें। आप पाँच मिनट में समाप्त कर दें। मैं किसी को पाँच मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा।

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Alleppey): Mr. Speaker, Sir, this is the second time when we are discussing here in this House about outrageous incidents against women. First, the Madurai case was discussed and if the Speaker was lenient enough, I think many more occasions would have been there to discuss about these things. Yesterday itself an incident was reported in the Press that one lady was kidnapped and two police personnel were involved. In today's papers there is mention of an incident where police people went into a house and beat up a lady and a man in the house. So many such incidents are being reported in the papers daily. It is because the fence itself is eating up the crops. Police people who have to protect are themselves involved in this.

Sir, this is not the first time. On so many occasions it has happened earlier. That is why we want a proper inquiry. I think this incident has no parallel. To my memory it has no parallel because a woman is stripped naked and paraded in the streets, and she had her abortion right in the street. This is most shameful. Whether she is a dacoit or connected with dacoits that does not matter but whether a lady can be stripped naked and paraded in the streets. By this incident you have stripped naked and paraded not Mrs. Maya Tyagi but the whole womanhood of India you have dis-honoured the women of India.

Sir, my point is if you want to have a thorough inquiry into this then you have not only to suspend the concerned police officials—the women's organisations have demanded their arrest but I am of the view that they should not be allowed to enter the district till the inquiry is over; otherwise you cannot have a free and fair inquiry. Are you prepared for that? Otherwise, we have so many earlier experiences. In Kerala—Mr. Karunakaran was the Home Minister at that time—two women were molested and raped and

[Shrimati Suseela Gopalan]

when they came out they committed suicide. Our women's organisations forced them to have an inquiry and suspend the concerned police officials. They were suspended but after two months when all the noise died down the suspended police officials were taken back and even given promotion. That is our experience. That should not happen any more. There should be some justice and this should be a lesson to all the people in the country that after this thing nobody should be prepared to do such a thing. If you are prepared to take such an attitude, then only justice can be done. This is my appeal to the ruling party.

You are telling about bringing legislation. We are not much concerned with what legislation you bring. What is important is your attitude and what you are doing to prevent attacks on women and we find nothing is being done. For 30 years you have ruled. You say you are thinking of bringing about a legislation. But what have you done? Your young friends are defending these police people. That is what is worrying us. I ask: Are you prepared to order an impartial enquiry into this matter? You should take strict action against the police people. Let there not be any such incidents in future. I would like to know from the hon. Home Minister whether he is prepared to suspend them and also to ban them from entering the district till the enquiry is over. I request you that at least now you should take strict action against these people. Your action should be such that in this country no police personnel should hereafter be bold enough to commit such offences. With these words I conclude my speech.

20 hrs.

श्री मूल चन्द उगा (पाली) :

अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें हियर से हैं। हियरसे इज नो एबीडेंस। मैंने

सभी बातें यहाँ सुनीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बार जब हमारी प्रधान मंत्री नारायणपुर की घटना को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के नारायणपुर जाना चाहती थीं तो उस समय उनमें यह कहा गया कि मेहरबानी करके आप वहाँ न आइये क्योंकि यह स्टेट सब्जेक्ट है। आज उस बात को यहाँ कोई नहीं कह रहा है। आज उसी स्टेट सब्जेक्ट को यहाँ डिसकस किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय मैंने इस केस की एफ० आई० आर० पढ़ी है। इस रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होगा कि किस प्रकार से यह बनाई गयी है। इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी है। बयान पर अंगूठे के निशान भी हैं। ये सारे तथ्य जो आप कह रहे हैं वे इस में साबित नहीं होते। या तो यह एफ० आई० आर० गलत है या तथ्य कहने वाले गलत हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसकी रिपोर्ट है। उसमें कहा है कि रेप हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो उसका कुछ पोर्शन पढ़ सकता हूँ। उसी दिन डाक्टर ने उसको एग्जामिन किया। वह कुछ लोगों की कंपनी में थी।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी जोरों से यहाँ पर इस घटना की चर्चा हुई। यह घटना 19 जून को घटती है और उसकी एफ० आई० आर० 19 को नहीं, 20 को नहीं, 21 जून को लिखी जाती है। पूरे तीन दिन के बाद एफ० आई० आर० लिखी जाती है। इस तीन दिन के बाद लिखी गयी एफ० आई० आर० के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा गया।

मैं सुदेश त्यागी के बयान से पढ़ कर सुनाता हूँ—“दिन के दो बजे जब हम

बागपत चौपाल पर आये, जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए दुकानात की ओर चले तो देखा कि पुलिस थाना बागपत के कुछ लोगों से झगड़ा किया तथा फायरिंग शुरू कर दिया।" यह एक इम्प्रोबेबल स्टोरी है। सारी कथा आप पढ़ लें। न तो एस एच ओ है वहाँ पर और न कोई चीज है। पूरी मैडीकल रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इस में साफ लिखा हुआ है उस दिन कोई गैप नहीं हुआ।

This is an improbable story.

क्यों आप रेप, रेप कर रहे हैं। डाक्टर क्या कहता है इसको आप देखें। उसी दिन की रिपोर्ट है। क्या मैं सारी रिपोर्ट पढ़ूँ ? इस में यह लिखा हुआ है

There is no living or dead sperm found on that part.

अगर मैं मारी रिपोर्ट आपको पढ़ कर सुनाऊँ तो आपको दुख होगा आपको चाहिये कि आर्गुमेंट्स देने के पहले जो वस्तुस्थिति है, उसको आप जान लें। यह जो रिपोर्ट दी गई है यह पैथोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है और आन दैट वेरी डे दी गई है। इस में कहा गया है

No rape has been committed and nothing of that sort...

हमारे गृह मंत्री जी बड़े सीधे सादे हैं। दाढ़ी रखने से सरदार नहीं हो जाता है। उनका दिल भी सरदार का है। सरदार ने कह दिया है कि अगर गलत काम हुआ है और यह साबित हो जाता है तो सख्त सजा दी जाएगी और न्याय किया जाएगा। जब उन्होंने यह आश्वासन दे दिया है तो फिर आपने इस मामले को उखाड़ने की क्यों कोशिश की है, क्यों इस मामले को आप उछाल रहे हैं। जब एक सरदार ने एक बात कह दी है और दिल से कह दी है.....

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : यह ठीक बात इन्होंने नहीं कही है।

अध्यक्ष महोदय : बड़प्पन की बात उन्होंने बताई है।

श्री मूल चन्द डागा : क्या जो इम्प्रोबेबल स्टोर है उसको आप मानेंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर : सब लोग अपनी अन्तर्त्मा की हत्या कर रहे हैं इसको आप रोखिये।

श्री मूल चन्द डागा : वहाँ पर कहा गया कि कोई बगपत का आदमी गवाही देने के लिए तैयार है तो कोई तैयार नहीं हुआ।

मेरी प्रार्थना है कि इस सवाल को आप अपने तक ही सीमित रखें। यह जो स्टोरी है इसको पढ़ें। जानबूझ कर औरत ने गलत रिपोर्ट दी है, तीन दिन के बाद दी है। सारी रिपोर्ट, सारी इंजरीज, अगर आपने इसको देखा तो आपको मालूम हो जाएगा कि फर्जो है, कनकाक्टिड है, वनादटी है।

प्रो० मधु बंडवते : आदमी मरे यह तो सही है ?

श्री मूल चन्द डागा : जो मारे गए हैं उनकी क्यों आपके वकालत करना चाहते हैं ? आप के सामने सारी चीजें हैं। ईश्वर त्यागी के खिलाफ आठ मुकदमे थे जो पैडिंग थे। 302, 397, 395, 392 धाराओं के तहत ये केस चल रहे थे। रिपोर्ट से मालूम होता है कि स्कफल हुई थी।

जहाँ तक महिला की इज्जत का सवाल है सारे देश के लोग उसके हक में हैं और एक आवाज से कहते हैं कि

[श्री मल बन्धु डासा]

महिलाओं की इज्जत होनी चाहिये। सदस्यों को भारत के हर नागरिक को औरतों पर गर्व है। और हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को हम को उछालना नहीं चाहिये और चुपी साध कर रखनी चाहिये जब तक कि सही सही तथ्य हमारे सामने न आ जाएं और इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग देना कदापि उचित नहीं है। न्याय होने वाला है। ज्यूडिशल इन्क्वायरी आर्डर कर दी गई है। लेकिन आज तो यही मालूम देता है कि यह जो सारी रिपोर्ट है यह फर्जी है, बनाबटी है।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) अध्यक्ष महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं श्रीमती माया त्यागी को नमस्कार करता हूँ। इस सदन में जो यह चर्चा चली है, इससे न सिर्फ भारत बल्कि सगर के लोगों को, नारी के बारे में बहस-मुवायमे के दौरान सत्य, असत्य जो कुछ कहा गया है, डग बहस ने सबको एक दफा झंझोडा है। हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री ने भी पहले यह चर्चा की थी कि किस तरह से नारी के सम्मान को रखा जायेगा।

लम्बा समय नहीं है, लेकिन मैं अहिंसे-आहिंसे अपनी दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि यह सरकार अभी बहुत शक्तिशाली नहीं है और विपक्ष में भी कोई दम नहीं है। अगर विपक्ष में दम हो तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी माया त्यागी के साथ किसी भी सरकार के दौर में ऐसा जुल्म हो तो सत्याग्रह कर के उस सरकार को उलट दे। अगर सरकार शक्तिशाली होती तो यह 18 तारीख को वाकया है और ने विरोध करने के बाद यह न्याय की जांच हो, इसको मैं बिल्कुल गलत मानता

हूँ। रपट दर्ज होने चाहिए थी, मुजरिमों को गिरफ्तार करना चाहिये था, अवालत फंसला करती कि दोषी कौन है या कौन नहीं।

जब माया त्यागी आकर घर-मंत्री, प्रधान मंत्री और आपको कहती हैं और रपट लिखाती हैं, तो यह कायदा है हिन्दुस्तान में। एक तरफ आप कानून बना रहे हैं, मैं खुश हूँ कि सख्त कानून बने जिससे नारी की इज्जत बचे, और अभी जो कानून है, उसका आप उपयोग नहीं होने देते। अगर कोई औरत जाकर थाने में रपट लिखाये, कि मेरे साथ बलात्कार किया है, तो कायदा है, पर्चा दर्ज करके मुजरिम को गिरफ्तार करें और फिर उसके बाद इन्वैस्टीगेशन हो। मैं जूडिशियल इन्क्वायरी का विरोध करता हूँ, इससे नारी के सम्मान को शकित नहीं मिलेगी बल्कि उन मुजरिमों की रक्षा मिलगी। पहला काम था पर्चा दर्ज करो, गिरफ्तार करो और सस्पेंड करो। मामला खन्म।

आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीति का क्या मतलब है। कोई जनता पागल है क्या जो इस तरीके से समझेगी। मैं राजनीतिक हूँ, मेरा धर्म है कि किसी अबला की इज्जत लुटती हो तो उसे बचायें। श्री कमनापति जी, ज्ञानी जैल सिंह और सब चाहेंगे कि ऐसा हो। अगर जनता सरकार दोष करती थी, तो यह उस वक्त भी दोष था, उससे पहली सरकार दोष करती थी तो वह भी दोष था और आज भी दोष है। एक दोष दूसरे दोष को करने की इजाजत नहीं देता। जनता सरकार के वक्त का पाप, पाप है और इस वक्त का पाप, महा-पाप है।

अध्यक्ष महोदय आपने बहुत बड़ा उपकार किया है जो इस सदन में यह चर्चा चली है। उधर से जो, नौजवान साथी उठ कर तेजी से बोलते थे, तो मैं खुश होता

या क्योंकि इसकी शक्ति से मुझे उत्तेजना होती थी कि यह तीव्रता के बल से घोर से सोचता था कि यह जनता, जो सख्त रहे हैं। लेकिन इनको यह ज्ञान होना चाहिये कि राज हरिश्चन्द्र के जमाने से लेकर आज तक पुलिस, शासन, पीसे और गुंडे की हास रही है। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इस देश में पुलिस के सुधार की जरूरत है। मैं आप और हिन्दुस्तान की जनता से चाहूंगा कि लोक-सभा रक्षा करे, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन खान अब्दुल गफ्फारखां ने कहा कि मैं इन्दिरा गांधी से मिला था और इन्दिरा गांधी से यह बात कही कि किसी तरिके से आप अबला की इज्जत बचाये, औरत की इज्जत को बचायें और जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों को गोली मार दें। इन्दिरा जी ने कहा कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, गोली नहीं मार सकते। तो उन्होंने कहा कि कोई कानून बनायें। एक तरफ

अबुल गफ्फारखां कहते हैं और इन्दिरा जी कहती हैं, कानून बनाओ, और दूसरी तरफ जो कानून आज अबला को सहायता देता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, कौन थानेदार, कौन डी० एम० और कौन आई०जी०, मैं जानी जी से कहना चाहता हूं कि यह न आपके दोस्त हैं और न हमारे। यह हजूर के नौकर हैं। कल जनता की सरकार थी, इनसे कहते थे कि पकड़ लाओ जानी जी को, तो फट पकड़ लाते थे। आज कहते हैं कि पकड़ लाओ, उसको तो यह पकड़ लाते हैं। ये किसी के सगे नहीं हैं, ये एकसार हैं, मैं आपको बताता हूँ।

यह ठीक बात है कि आदमी जब उस तरफ बैठा है, तो उसको एक बात नजर आती है, लेकिन जब वह इस तरफ आ जाता है, तो उसे कुछ और ही नजर आता है। अच्छा हो कि इस बहस से इस स्थिति में परिवर्तन हो जाये। अगर यह संवर्ध बढ़ता रहेगा, तो वह दिन भी आयेगा, जब उधर वाले

को सोचना पड़ेगा कि कल जब मैं बोलता था, तब क्या हालत थी और इधर वाले को सोचना पड़ेगा कि जब मैं वहां था, तो क्या काम कर रहा था।

मैं चाहूंगा कि इस बटला को एक मामूली बात न समझा जाए। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं मौके पर भी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश की हर औरत, चाहे वह चोर, डाकू या वैश्या हो, भारत की बेटी है। अगर उसके साथ बलात्कार होता है, तो वह भारत की बेटी के साथ होता है। चाहे इस देश की कोई वैश्या हो, हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री और यह लोक सभा यह नहीं कह सकते हैं कि वह हमारी बेटी नहीं है। चोर-डकैतो के लिए कायदे-काबून बने हुए हैं। इस तरह गोली मार कर यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

फर्ज कीजिए कि मेरे बाप को कोई कत्ल करता है तो मैं उसको कत्ल नहीं कर सकता हूं। सुबूत मिलने पर सेशन जज ही उसको सजा दे सकता है। इन्सानों को कीड़े-मकोड़ों की तरह नहीं मारना चाहिए। मैं खुश हूंगा कि माया त्यागी के साथ ज्यादाती करने वाले मुलजिमो को सजा मिले। अगर न मिले, तो हिन्दुस्तान भर की जनता उठे, शान्तिमय आन्दोलन करे, सत्याग्रह करे और वक्त की इकूमत को एक्शन लेने के लिए मजबूर करे।

यह ठीक है कि श्री राज नारायण वहां पर 18 तारीख को गये थे। मैं उनको मुबारकवाद देता हूं। वह श्री राज नारायण ही हैं, जिन्होंने इस मामले को उठाया और इस हाउस को इस पर चर्चा करने का मौका मिला। हो सकता है कि कुछ लोग कहे कि यह गलत है, लेकिन सारे संसार में एक बहुत बड़े इश्यु को उठाया गया। श्री राज नारायण वहां पर गये। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वहां जायें।

[श्री मनी राम बाबड़ी]

आफ़िर मैं मैं कहना चाहता हूँ कि द्रोपदी के चीर-हरण के समय भीष्म और द्रोणाचार्य चुप बैठे रहे। कमलापति जी और शानी जी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं, कुरुवंशी उन्हें सच्ची बात नहीं करने देते हैं—उन्हें भागे बड़ कर कुछ करना चाहिए।

श्री जगदान देव (भजमेर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मगरमच्छ के आंसू बहाये, उन्होंने ढाई घंटे बर्बाद किए और फिर वहीं के वहीं खड़े रहे। सरकार ने कह दिया कि न्यायिक जांच होगी और जो व्यक्ति मुजरिम पाये जायेगा, उनको सजा दी जायगी। श्री मधु दंडवते शहीद होने को भी तैयार हो गये। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने ढाई सालों में उन्होंने क्या क्या कर्म किये। जो घटनायें नारायणपुर वगैरह में घटीं, उनको सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया ? जब हमारी अध्यक्षता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, उस गांव में जा रही थी, उन्हें रोका गया। उस समय इन लोगों ने ही इस सदन में इस बात को उठाने नहीं दिया और कहा कि यह तो स्टेट का विषय है और इसका चर्चा एसम्बली में ही होगा। आज ये यहां पर बैठ कर बातें कर रहे हैं। असली विरसा क्या है, वह रामन आयेगा। इनके कर्म भी सब को रामने जाने वाले हैं। ये लोग बेतुकी बातें कर के समय बर्बाद कर रहे हैं। इनसे क्या नतीजा निकलने वाला है ? यह तो ऐसा हुआ कि खोदा पहाड़ और निबर्ल चुहिया। जिन्होंने यह घटना की है, जिन्होंने इस तरह का अत्याचार किया है उसका दण्ड दिया जायगा। मैं चौधरी चरण सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, आज वह महिलाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ आवाज करने

का रहे हैं। उन की धाराच में जिजना दम है वह तो बुनियाद में देख लिया। परन्तु उन्होंने महिलाओं का अपमान किया और यह कहा अपने काल में जब वह मुख्य मंत्री थे कि महिलाओं को तो घर में बैठ कर रोटी बनानी चाहिए। और अब सम्मान की बात करते हैं। यह किस मुंह से ऐसी बात करते हैं... (व्यवधान)... और हां, अपनी बीबी को चुनवा कर ले आए। यह दुर्गंगी चाल है। वह लहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि वह न्यायिक जांच कराएगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) :
मान्यवर, (व्यवधान)

जब पूरे राष्ट्र का मस्तक शर्म से झुका हुआ है बागपत की घटना पर तो हमारे रूलिंग पार्टी के लोगो को ऐसा लग रहा है कि उन्हें गौरव महसूस हो रहा है और वे पुलिस को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के राज्य में आज महिलाओं, हरिजनों और अल्पसंख्यकों, विसा का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ :

“Woman paraded naked, then raped by police.” “CID, to probe Harijan Woman’s death—Bara-banki”; “Cop on duty rapes woman in JP Hospital”; “Woman raped in police station”. I have quoted from the press cuttings.

इन लोगों को अन्तरात्मा है ही नहीं, वह पूरे तरफ से भ्रष्ट हो गई है और जो बड़े बड़े नेता इस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, देश के साथ, देश की जनता

के साथ चाहे एमर्सेली के समय में विवाहसम्बन्ध हुआ, चाहे अब हो रहा है; उस सब को ये लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। वह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और गर्म की बात है। आज भी यही काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी ने अभी कहा था कि देश का झंडा तब झुकता है जब पुलिस का झंडा टूटता है। अगर यही ऐटीच्यूड है तो आप पुलिस को बचाने के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकते हैं। कितना अत्याचार पुलिस कर रही है इसके बारे में आप अपने कान खोल करके सुनिए और आंख खोल करके देखिए। आप लोग राजनैतिक लाभ की बात करते हैं। नारायणपुर का काण्ड हुआ था तो उस सरकार की बर्खास्त करने की मांग मैंने की थी और मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकारों को बर्खास्त किया जाये, ऐसी सरकारें रहें नहीं और आप को भी बर्खास्त होना पड़ेगा, आप की जनता बर्खास्त करेगी। जब पत्रकारों ने प्रधान मंत्री से पूछा कि यह धारणा बन रही है कि नारायणपुर कांड से आप लोग राजनैतिक लाभ उठाना चाहती हैं तो प्रधान मंत्री ने जवाब दिया था कि जब ये अपोजीशन के लोग गतिवियां करेंगे तो राजनैतिक दल होने के नाते हम क्यों न लाभ उठाएं? आप अगर अस्सी पुलिस को उकसाते हैं भ्रष्टाचार और अशुभचरित्र करने के लिए तो राजनैतिक दल के लोग यहां पर चुप्पी साध कर बैठेंगे और आप का समर्थन करेंगे? आप ऐसा क्यों समझते हैं? हम इस का लाभ भी उठाएंगे। लेकिन सवाल यहां लाभ उठाने का नहीं है। सवाल है देश की उन महान परम्पराओं और मर्यादाओं का जिनके लिए इस देश के महान् व्यक्तियों और महापुरुषों ने जीवन भर काम किया है, जिन्होंने आप के

सामने ऐसा शरणा स्थापित किया है... (व्यवधान)... त्यागपत्र को वापस ले लीजिए... (व्यवधान)....

जब की नियुक्ति हुई और उस की नियुक्ति होने के बाद ग्राह की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या वे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं जूडिशियल एम्बेयरी में? आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं मांग करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को सस्पेंड कीजिए, ग्राह जी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सस्पेंड कीजिए। ये कोई खुदा के नुमाइन्दे नहीं हैं कि जो चाहें वह करें और आप इन से जो चाहे कराते रहें। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

मान्यवर, यह वह देश है... (व्यवधान)... यह टाइम्स आफ् इंडिया है, देख लीजिए, चांदनी चौक में एक कुत्ते की मौत हुई तो टाइम्स आफ् इंडिया में छपा हुआ है, इस को इज्जत दी गई। आप खुले आम दिन दहाड़ें लोगों को गलियों से उड़ा रहे हैं और आप कहते हैं कि वे डाकू हैं। डाकू हैं तो आप गान्तियों से उड़ाएंगे? अगर कोई महिला डाकू है तो आप उसको नंगी कर के परेड करवाएंगे? ये तमाम चीजें जो हो रही हैं देश के लिए बड़े शर्म की बात है। सरकार का अपने तीर तरीक को बदलना होगा और देश के साथ न्याय करना होगा, महिलाओं, गरीबों और हरिजनों, सब के साथ जो आज अत्याचार हो रहे हैं उन्हें बंद करना होगा।... (व्यवधान)....

गृह मंत्री (श्री जल सिंह) : स्पीकर साहब, आपने बड़ी मेहरबानी करके, जबकि रूल्स में एक घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दिया

• [श्री जल सिंह]

जा सकता था, (श्री जल सिंह) बाई बंटे जी दे दिए। यह आपकी मेहरबानी है। यहां पर आनरेबल मेम्बर ने अपने विचार रखे हैं। दंडवते जी ने इस बहस का उद्घाटन किया, मिसिज साही, मि० पासवान, मि० राबेश पाइलट, मि० आर० एन० भाटिया, मिसिज गीता मुकर्जी, मि० मोहम्मद आरिफ, मिसिज सुशीला गीपालन, श्री मूलचन्द उगा, चीघरी जी—इन सभी मेम्बरों के जवाब तो मैं देना जरूरी भी नहीं समझता हूं और मेरा खयाल है आप भी नहीं चाहेंगे कि इस पर वक्त खर्च किया जाए। जब आपस में एक दूसरे को जवाब मिल ही गया है तो उसके बाद मैं क्या जवाब दूंगा।

स्पीकर साहब, आपने भले ही कह दिया था कि जुडिशियल इन्क्वायरी के आर्डर हो चुके हैं, इसका खयाल रख कर आनरेबल मेम्बर बोलेंगे। खैर, खयाल तो रखा ही होगा लेकिन मेरा खयाल है जुडिशियरी का जज यहां बैठा होता तो उसका आधा मन तो बन ही जाता। यह जुडिशियल इन्क्वायरी कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के मातहत है। दंडवते जी के प्रति मेरा खयाल था कि वे प्रोफेसर रहे हैं और प्रोफेसर हमेशा इसे बात का खयाल रखता है कि वह जितनी ज्यादा से ज्यादा नालेज दे सके लोगों को, वह दे। वे स्टडी करके भी आते हैं। आज मेरे मन पर एक बात का प्रभाव पड़ा कि वे स्टडी करके भी आते हैं और यह भी समझते हैं कि उनके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उन्होंने पहले बड़ा सुन्दर रूप दिया कि इंडियन कल्चर को ध्यान में रख कर बात करेंगे और फिर कहा कि जुडिशियल इन्क्वायरी जो है... (व्यवधान) आप हाटिकल्चर समझते हैं तो मैं स्पीकर साहब, वख्ति करुंआ कि आनरेबल मेम्बर के विभाग का इलाज कराया जाए। (व्यवधान) उर्दू क्वांदा दोस्त समझेंगे :

मैं बुधा भिबता रहा, वे क्या करते रहे। एकही नुस्ती ने बहुरन से बर्जास्म बंधा दिया। तो वह बातें भीर हैं। मेरा खयाल था कि वे इस बात को सिद्ध करने में सामने रखेंगे कि मगर यह भी ठीक है कि गृह मंत्री के स्टेटमेंट पर दो बंटे बहस हो ली। शायद पहले भी गृह मंत्री के बयान पर बहस होती रही हो लेकिन मुझे तो पहला मौका खुनवे को मिला है कि गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया, जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए कंठ दिया, स्टेट ने उसको मान लिया उसके बाद जो ऐसी तकरीरे होती हैं उनसे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उससे उस लड़की की इज्जत बचाने का मकसद है, गुनहगारों को सजा दिलाने का मकसद है या अपनी पार्टी की इमेज बचाने का मकसद है? खैर, मैं बड़ी इज्जत करता हूं इन दोनों पति पत्नी की, यानी प्रोफेसर साहब और उनकी वाइफ की... (व्यवधान)

श्री मवीराम बागड़ी : यहां पर दोनों इस सदन के मेम्बर हैं।

श्री जल सिंह : तो पति और पत्नी मेम्बर नहीं हो सकते, बागड़ी जी, क्या वाजपेयी जी और भूपेश गुप्त जी ही मेम्बर हो सकते हैं जो पति नहीं बने? खैर, मैं सच बात कहता हूं कि मिसिज दंडवते जो पार्लियामेंट मेम्बर हैं उन के साथ माया त्यागी और एक-दो शख्सियतें मुझे मिले थे। मैंने कहा—बहिन जी, आप ने सब कुछ बता दिया होगा, हम असलियत पर जाने की कोशिश करते हैं तो आनरेबल मिसिज दंडवते... (व्यवधान)... मैं तो बहन उन्हें ही समझता हूं, बहन कहेंगी भी, लेकिन रिकार्ड में आनरेबल मेम्बर कहना जरूरी है.....

श्रीमती प्रसिद्धा दंडवते (बम्बई—उत्तर मध्य) : मैं गृह मंत्री जी से मिलने नहीं गई

थी। हमारी कुछ महिलायें गई थीं। मैं माया त्यागी के साथ प्रधान मंत्री जी से मिलने गई थी, आप ने दूसरी महिला को कैसे प्रमिला दंडवते समझ लिया ?

श्री जैल सिंह : सपीकर साहब, आप ही हैं न श्री मधु दंडवते की मिसिज ? अच्छा मुझे बताओ, रात के 8 बजे मेरे घर में प्रधान मंत्री जी का क्या काम ? आप उन को मिलने गई थीं . . .

अध्यक्ष महोदय : ये कहती हैं : मैं आप के घर नहीं गई थी।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं माया त्यागी को साथ ले कर प्रधान मंत्री जी से मिलने गई थी, आप के यहां मैंने रिप्रेजेन्टेटिव भेजी थी, लेकिन मैं खुद नहीं आई थी।

अध्यक्ष महोदय : यहां मुझे रूलिंग देना पड़ेगा—आप घर में झगड़ा नहीं करवा सकते हैं।

PROF. MADHU DANAVATE:
For the information of the hon. Minister, I confirm that she is my wife.'

श्री जैल सिंह : जो मुझे याद है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। मुझे बताया गया मैं मिसिज मधु दंडवते हूँ और यह वह लड़की है और उन के साथ एक लेडी और थी। मैंने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी से मिलना चाहिये, तो उन्होंने कहा कि ऐसे समय में, अफसोस के दिनों में, हम प्रधान मंत्री जी को क्यों तकलीफ दें। इन्होंने यह भी कहा कि . . .

श्री जी० एम० बनासबाला : अध्यक्ष महोदय, इसकी एन्कवायरी होनी चाहिये। . . . व्यवधान . . .

श्री जैल सिंह : उन के साथ दो बहने और थीं।

श्री कुम्भाराम शर्मा (सीकर) : क्या वागपत क्री जांच भी ऐसी ही कर के भाये हैं ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं चौधरी साहब को बहुत पुराना जानता हूँ और वे भी मुझे जानते हैं। हम दोनों प्रजा मंडल में रहे हैं। उन के मुँह से यह बात सुन कर मुझे अफसोस हुआ। मैं अगर जानकारी कर पाता तो क्या मेरा स्टेटमेंट यही आता ? अगर मेरी जानकारी मुकम्मिल हो जाती तो क्या फिर जूडीशियल एन्कवायरी की जरूरत रह जाती ? क्या मैं उन को सजा न देता, क्या मैं हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकता था कि उन को सजा दी जाय ? वहां एन्कवायरी नहीं होने दी गई, वहां हजारों आदमी मौजूद थे जोकि पोलिटीकल पार्टियों के आदमी थे और अपनी अपनी पार्टियों के स्लोगन लगा रहे थे। कोई एन्कवायरी नहीं हो सकती थी, किसी को माया त्यागी का ख्याल नहीं था। पोलिटीकल पार्टियां अपने जल्से लगा रही थी। मैं वहां क्यों गया ? इस लिये कि मैंने राज्य सभा में वचन दिया था कि मैं वहां जाऊंगा। हालांकि मैं समझता था कि जाने का कोई फायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट की दस लेडी मेम्बर्स मेरे साथ थी और भाटिया जी मेरे साथ थे। मैं दो दिन रहने के लिये वहां तयार था, लेकिन जब मैंने वहां एटमास्फीयर देखा, जिन्होंने अपनी आंखों से हाल देखा था, वे तो आते नह, और बड़े बड़े लीडर्स, वकील, हमारे सामने तकरीरें करते हैं, तो मैंने समझ लिया कि इस तरह से असलियत सामने नहीं आयेगी। यही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है इस लिये मेरी दरख्वास्त है कि आप थोड़ा माहौल को ठंडा होने दें।

प्रो० मधु दंडवते : अगर यह ठण्डा दिमाग है, तो गर्म दिमाग क्या होगा ?

श्री जैल सिंह : प्रोफेसर साहब ने कहा—मीयर ट्रांसफर से कुछ बात नहीं बनती। मैं उनके उजबात क्री कर करता हूँ। उन्होंने ने

[श्री जैल सिंह]

वह भी कहा कि रेस्ट हाउस में जाकर इन्कवायरी की, उसे क्यों नहीं गए ? इसका जवाब मैंने दे दिया है। आगे जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि असलियत निकलने नहीं ले थे। जिन्होंने आज बहुत बड़ी पब्लिक मोटिव की है, वहां जाकर क्या मायात्पागी की इज्जत के बर्ताने के लिए की है ? मायात्पागी के नाम से पोलिटिकल पक्षदार ठाने की कोशिश की गई है। अगर ऐसी हालत रहेगी तो इन्साफ होना मुश्किल है।

प्र. फेसर साहब, आप की तकरीर मानदार थी। मुझे एक शेर यद आया—

इकबाल बड़ा उपदेश कहे, मन बातों से मोह लेता है,

कूपारका गाजी बनतों गया, फिरदार का गाजी बन न सका।

आप की तकरीर का एण्डिंग हुआ, उसको देखिए। क्या उसमें पोलिटिकल रंगत नहीं थी ? क्या आप उस पोलिटिकल रंगत को उत्तर सकते हैं। आप के तमाम के तमाम तकरीर में यही बात थी— गृह मंत्री ने वहां जाकर कुछ नहीं किया, गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें कुछ नहीं कहा है ? क्या उम्मीद कह कर मुझे जूडीशियल इन्कवायरी का मजाक बनाना था ? मैं वहां गया और मैंने देखा कि यहां इन्साफ नहीं मिलेगा, जब तक जूडीशियल इन्कवायरी नहीं होती। मैंने दिल्ली धाकर चीफ मिनिस्टर के टेलीफोन किया। जब मैं वहां गया था, जूडीशियल इन्कवायरी की बात मेरे दिमाग में नहीं थी। मैंने उस रोज शाम को स्टेटमेंट क्यों दिया ? इसलिए कि मैं चीफ मिनिस्टर को अपनी राय देना चाहता था और मैंने उनकी अपनी राय दी। उन्होंने उस राय को मंजूर किया और जूडीशियल इन्कवायरी के आर्डर हो गए।

मैं यह पूछना चाहता हूँ— मुझे पूछना नहीं चाहिए, कलसी के पूछलिया, मुझे तो बताना चाहिए था— मैं बतलाना चाहता हूँ— क्या आप इन तकरीरों और उन तकरीरों को गुन के एक ईजजमेंट दे सकते हैं, कि कौन गुनाहगार है ? कौन गुनहगार है, यह साबित नहीं हो सकता है, इसी लिए जूडीशियल इन्कवायरी की जरूरत है।

मुझे श्रीमती गीता मुखर्जी और आनंदे-बिल सी० पी० आई० के मेम्बर साहबान के जजबाल की बहुत कद्र है। लेकिन मैं उनसे फिर दरखास्त करूँगा— आप ने जो लेंटर मुझे लिखा था— यह लेंटर श्रीमती गीता मुखर्जी, श्रीमती कनका मुखर्जी और श्रीमती अजीजा इमाम तीनों का लेंटर है— यह मेरे स्टेटमेंट से पहले मुझे मिल गया था। इसमें आपने लिखा है—

We demand a judicial inquiry leading to the severest punishment to the beatsts guilty of this heinous crime of shameful molestation of woman.

आपको यह चिट्ठी आई और मैंने आप को चिट्ठी को मान लिया

... (व्यवधान) ...

आप मेरी बात सुन लीजिए, आप तो बहुत पुरानी पालियामेंटरियन हैं, पोलिटिकल लीडर हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई मर्द होता, तो पूछ लेता कि कैसे बोलते हो...

श्री मनीराम बागड़ी : मर्द पर गुस्ता निकलेगा।

श्री जैल सिंह : जो मेम्बर साहबान मेरे साथ गईं, उनमें से तीन मेम्बर पालियामेंट ने मुझे इन्कवायरी के लिए कहा और जब मैंने उनकी बात मान ली तो आपको इस बात की श्लाघा करनी चाहिए थी या मेरे गले पड़ जाया चाहिए था ?..

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: I simply said: what other Members of your Party are doing? I only wanted suspension.

श्री जैल सिंह : मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रॉसिडेंट से न बोलें, यह मामला पोलिटिकल मामला नहीं है, इसको पोलिटिकल मामला बनाना अच्छा नहीं रहेगा। मैं आज भी यह कहता हूँ—उस माया त्यागी का इज्जत, सरकार और सम्मान हमारी नजर में, ब्राह्मण कह डाला हुआ कुछ भी हो, लेकिन वह जो भारत का एक बेटा है, मैं गृह मंत्री के नाते उसका बेटा समझता हूँ और मैं उसकी इज्जत को लूटने वालों को सजा दिलाना चाहता हूँ। लेकिन बुनिया में इन्साफ क्या है? इन्साफ है निर्दोषिय को बचाया जाये और दोषियों को पकड़ा जाये। क्या यही इन्साफ है कि निर्दोष को पकड़ लिया जाय दबाव डाल कर, जलूस निकाल कर और सत्याग्रह कर के? क्या इन्साफ होगा? सत्याग्रह किस बात का करेंगे आप जब जुडीशियल इन्क्वायरी हो रही है। आप सत्याग्रह करने जायेंगे, जलूस निकालेंगे और शोर मचायेंगे कि कोई गवाही न दे सके। इस बात के लिए आप का अपने हृदय को टटोलना चाहिए और इस बात को एप्रोप्रियेट करना चाहिए कि एक बात कया हुआ, जिसके बारे में जब हमें पता चला, तो हमने जुडीशियल इन्क्वायरी का आर्डर कर दिया और जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए वह जज लिया, जिसको वहाँ की हाई कोर्ट ने मंजूर किया। उनसे हम इन्क्वायरी करवा रहे हैं।... (व्यवधान) ... आपकी बोलना है, तो जरा रुकें होकर बोलिये, मैं बैठ जाता हूँ।

प्रो० वधु बंडवते : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप तो मिनिस्टर हैं। आज आप इतने गुस्से में बात यह समझ कर मत करिए कि हम यहाँ पुलिस आफिसर बैठे हुये हैं और आप होम्स मिनिस्टर हैं और आप हम को डाँट रहे हैं।

श्री जैल सिंह : मैं एप्रोप्रियेट करता हूँ दण्डवते जी कि आप ने ऐसा फैसला किया कि उधार नहीं रखा। मैंने भी आपको कहा था

कि आप हमको स्टूडेंट्स समझते हो। इसलिए आपने भी हमको ऐसी ही बात कह दी और मैं चाहता हूँ कि इसको हजम न किया जाए। इनके शब्द भी रिफाउंड में रहने चाहिये।

श्री जैल सिंह : आप रोज क्यास लगाना न शुरू कर दें।

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी के दिरोधियों से यह कहना चाहता हूँ कि यह ठलवार को लड़ाई नहीं है, यह बिचारों को लड़ाई है। इस्पात की तेज धार से जल्म होता है लेकिन बिचारों के लिए अगर अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किये जायें, तो जल्म नहीं होता है। इसलिए मैं मदद से बात करता हूँ और कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को :

“तुम तीर मारो सीने मे बेशक
मगर इतना ख्याल रखना कि
सीने में दिल है और
दिल में तुम्हारा मुकाम है”।

श्री जैल सिंह : हम ध्यान रखेंगे।

प्रो० वधु बंडवते : आप के दिल पर कभी तीर नहीं मारा है।

श्री जैल सिंह : नहीं मारा है, ठीक बात आप ने कही। आप ने दुःख कहा अभी एक दोस्त ने कहा कि शानी जैल सिंह जी मजबूर हैं।

श्री मनोराम बागड़ी : मैंने कहा।

श्री जैल सिंह : बागड़ी जी ने कहा। बागड़ी जी हमारे पड़ोसी हैं और हमारा इन के साथ बहुत प्यार रहा है और धन भी है लेकिन जब चाहते हैं मेरे ऊपर इल्जाम भी लगाने बोलें, दुःखत से लपटें हैं।

श्री मनोराम बागड़ी : मैंने कभी इल्जाम नहीं लगाया आप पर।

श्री जैल सिंह: मैं सिर्फ बागड़ी जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत अदब करता हूँ सत्कार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, नरमाई से बोलता हूँ, मुलायम भी हूँ लेकिन मैं फर्म भी हूँ, मजबूत भी हूँ। इसलिए मुझे जब काम करना हो लोगों के इन्साफ के लिए, तो मैं किसी से नहीं डरता सिवाय खुदा के। मेरे ऊपर किसी ने दबाव डाला नहीं। ये जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये मुझे मिले तक नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं। तकरीरों से आप अन्दाजा लगाते होंगे। मैं इनकी तकरीरों की तारीफ करता हूँ। जब बात सच्ची कहते हों, तो मैं क्या करूँ। अगर आप की बात में सच्चाई न हो तो मैं क्या करूँ मेरे बस की क्या बात है।

मेरे एक और दोस्त ने कहा, शायद चौधरी साहब ने कहा था कि ये पुलिस वाले खुदा के नुमायन्दे नहीं हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त कही। हम भी खुदा के नुमायन्दे नहीं हैं। इन्सान हैं और वे भी इन्सान हैं और हम भी हैं। बागड़ी जी ने कहा कि इधर बैठ कर कभी दिमाग कुछ और हो जाता है और उधर बैठ कर कुछ और हो जाता है। फिर वे सपना भी लेते हैं कि कोई समय आएगा कि हम उधर जाएंगे और वे इधर आएंगे। बागड़ी जी, अब इस बात को तो छोड़ दीजिए। वह जमाना अब नहीं आ सकता और भारत की परम्परा के मुताबक, हमारी संस्कृति के मुताबिक हम जब मरेंगे या हम को मुक्ति मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, तो बागड़ी जी आप और मैं दोनों ऐसे आदमी हैं कि जिन्होंने इतने अच्छे काम नहीं किये हैं जिससे कि हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए और इतने बुरे काम भी नहीं किये हैं कि कोई हम को नर्क में भेज दे। हम तो भारत में फिर पैदा होंगे लेकिन आपका स्थान वहीं रहेगा जो है और हमारा स्थान भी वही रहेगा। आप जिस जिस जगह पर

बैठ गये हैं, जिस बेड़े पर बैठ गये हैं अब वह बेड़ा आगे जाने वाला वाला नहीं है। (व्यवधान)

एक बात मैं प्रोफेसर साहब आपको कहना चाहता हूँ बहिन मुखर्जी को कहना चाहता हूँ। लोक दल के नेता चौधरी साहब चले गये। मैं चाहता था कि वे बैठे होते। वे इतिफाक से प्रधान मंत्री भी रह गये, बगैर पार्लियामेंट का एक दिन भी सेशन किये और वे होम मिनिस्टर भी रहे। मेरी उनसे कोई अदावत की बात नहीं है। लेकिन यहां कुछ दोस्तों से बातें हो रही थीं, जरा वे भी सुनते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं वहां गया तो लोक दल के नेता सब से आगे आगे थे। मैंने एक कमरा छोड़ा दूसरे कमरे में गया दूसरा छोड़ा, तीसरे में गया। मैंने पुलिस वालों को साथ नहीं रखा था। एक औरत, एक मर्द और कुछ लोग मुझे कहने लगे कि हम कुछ नहीं कहते क्या हुआ क्योंकि हमने देखा नहीं, लेकिन एक बात हम कहते हैं कि आज से 6 महीने पहले इसी इलाके में गुण्डे रोजना घुमते थे और जो लोक दल के नेता आप से मिले हैं, इनके वे साथी थे। वे लोगों के घरों में जाते थे, कहते थे खाना बनाओ और खाना खाते थे। उनके घर में सो जाते थे उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटने के बाद उनके घर लूट ले जाते थे। अब हम सुख और चैन की सांस ले रहे हैं। इसलिए याद रखना कि कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से हम को किसी ने वोट डालने नहीं दिया लेकिन अब हम जहां आवेंगे जायेंगे हम को आजादी तो मिली (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला बंडवते : जो सवाल उसको छोड़ कर आप दूसरी बातें कह रहे हैं।

श्री जैल सिंह : मैं यह बात कहता हूँ कि कि मायादेवी को अपनी बेटी समझता हूँ।

श्रीमती गायत्री देवी (कौराना): आप कितने बार्ते कह रहे हैं क्या उनके सामने ये बार्ते कहें ?

श्री जैल सिंह : मैं किसी से भी कह सकता हूँ। मेम्बर साहिबान, मैं बुवा की मेहरबानी से एक जिम्मेदार हैसियत रखता हूँ होम मिनिस्टर हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं था, नाचीज था, तब भी मेरी गर्दन किसी के आगे नहीं झुकी, मैंने जो कुछ बात कही वह सब के सामने कही। मैं पीछे नहीं कहा करता हूँ। (व्यवधान)

प्रो० मधु बंडवते : हमारा भी सिर किसी के सामने नहीं झुका है। ताना शाही के सामने भी नहीं झुका है।

श्री जैल सिंह : प्रोफेसर साहब मैं आपको नहीं कहता। आनरबल मेम्बर साहिबा ने कहा कि मैं सामने बात करूँ तो मैंने सामने यह बात कही है। इसमें आपको क्या तकलीफ हुई ? (व्यवधान)

श्री मैनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, एक बात की मैं प्रार्थना करूँगा। जिसके हाथ में राज का डंडा होता है उसकी गर्जना शेरकी सी नहीं होनी चाहिए उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए। आपके हाथ में डंडा है, यह आपको शोभा नहीं देता। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं बागड़ी साहब का मशकूर हूँ। नम्रता

बे किसी के आगे भी मेरा सिर झुकता है मैं सब का दास हूँ और नम्रता से सबकी सेवा करता हूँ। लेकिन स्पीकर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी शराफत को मेरी कमजोरी न समझा जाए। मेरी शराफत को कमजोरी समझा गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से मैं आपका लिहाज और इज्जत करके चलता हूँ, आप भी चलें। इस मामले में इतना तो साबित हो गया है कि—उस लड़की को कपड़े फाड़े गए। लेकिन किस ने फाड़े, उसको देखा है किसी ने फाड़ते हुए बेइज्जती की है, उसको देखा है, उसके साथ रेप हुआ या नहीं और अगर हुआ तो किस ने किया, क्यों हुआ कैसे हुआ, ये सारी बातें जानने के लिए हम और आप जज नहीं बन सकते हैं। आनरबल मेम्बर, साहिबान ने जिस तरह से यहां कह दिया है उस तरह से मुझे नहीं बहना चाहिये क्यों कि जज प्रेजुडिस हो जाएगा और उसकी इनव्दायरी ठीक नहीं होगी। अगर गृह मंत्री ने पहले अपनी राय दे दी तो दुखस्त नहीं होगा राज्य सभा में भी यही बात आई थी एक बर्जस नेता कहने लगे कि आपने स्टेटमेंट दिया, उस में कुछ भी नहीं है मैंने कहा कुछ होता तो मैं स्टेटमेंट देता ही नहीं। स्टेटमेंट में कुछ होना नहीं चाहिये ताकि जिस आदमी को फैसला करना है वह इंडिपेंडेंटली फैसला कर सके।

सारे हाडस से मैं प्रार्थना करता हूँ, अदब से करता हूँ कि एक स्टेट है, उसकी अपनी असम्बली है उस में भी अपोजीशन पार्टीज हैं लोगों की वहां चुनी हुई सरकार

[श्री जस सिंह]

है और यह चर्चा या बहस मुवाहिदा मेहरबानी करके उन पर छोड़िये : यह स्टेट सबजेक्ट है : राज्य सरकार इसको देखें । अगर कोई दुरुस्त बात वहां नहीं होती है तो फिर पार्लियामेंट का वक्त लेना चाहिये । वरना वे लोग भी लोगों में चुने हुए हैं, वे भी उन से पूछ सकते हैं । इतना मैं जरूर कहता हूँ कि कि जो मैंने वहां की सरकार का राय दी

उन्होंने कुछ मानी है और जो आपके जजबात हैं उनसे मैं वहां के मुख्य मंत्री को क्रीफ कर दूंगा । मैं आशा रखता हूँ कि इस इनक्वायरी में आप सहयोग देंगे, कोऑप्रेशन देंगे ताकि दांषी को सजा मिल सके ।

20. 52 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, July 5, 1980/Asadha 14, 1902 (Saka).